

[2023] 5 एस. सी. आर 243

अनुष्का रेन्गुन्थवार और ओआरएस।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2021 की लिखित याचिका (सी) संख्या 891)

फरवरी 03,2023

[ए. एस. बोपन्ना और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

नागरिकता अधिनियम, 1955 - एस. 7. बी. (1)-अधिसूचनाओं के माध्यम से [2023] 5 एस. सी. आर.

डीटीडी। 11.04.2005 , 05.01.2009 , प्रवासी भारतीय नागरिक (ओ. सी. आई.) कार्डधारकों को अनिवासी के साथ समानता का अधिकार दिया गया था।

भारतीय (एन. आर. आई.) शिक्षा के क्षेत्र सहित अधिसूचित सुविधाओं के संबंध में, जिनके पास बदले में भारतीय नागरिकों की विवादित अधिसूचना dtd.04.03 के साथ समानता थी। 21 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया,

शक्तियों के प्रयोग में यू / एस. 7 बी. (1) ने ओ. सी. आई. कार्डधारकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के मौजूदा अधिकार को छीन लिया।

छात्र-ओ. सी. आई. कार्डधारक जो एन. ई. ई. टी. के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करके एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम पूरा करके डॉक्टर बनने के इच्छुक हैं और इसके बाद स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशलिटी-आयोजित: पहले की अधिसूचनाओं को निरस्त करने और ओ. सी. आई. कार्डधारकों के अधिकार को छीनने के निर्णय को परिणामों के संदर्भ के बिना रद्द नहीं किया जाना चाहिए था-इस तरह के अर्जित अधिकारों को नहीं बचाने वाली विवादित अधिसूचना विवेक और मनमानेपन का संकेत देती है-हालांकि विवादित अधिसूचना एक नीति पर आधारित है और एक संप्रभु राज्य की वैधानिक शक्ति का प्रयोग करती है, लेकिन इसमें निहित प्रावधान केवल 04.03.2021 के बाद विदेश में पैदा हुए व्यक्तियों पर ही लागू होंगे, यानी अधिसूचना की तारीख।

और जो उस तारीख से ओ. सी. आई. कार्डधारक के रूप में पंजीकरण चाहते हैं, हालांकि सक्षम यू / एस. 7. बी. (1) बुद्धि के गैर-अनुप्रयोग के दोष से ग्रस्त है और संभावित होने के बावजूद, वास्तव में उन अधिकारों को छीनना है जो संप्रभु राज्य की नीति के मामले के रूप में भी प्रदान किए गए थे-अधिसूचना का विवादित हिस्सा अधिसूचनाओं के अधिक्रमण के लिए प्रदान करता है।

डीटीडी। 11.04.2005 , 05.01.2007 , 05.01.2009 और खंड 4 (ii), इसके

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके लिए परंतुक और स्पष्टीकरण (1) उन ओसीआई कार्डधारकों के संबंध में संभावित रूप से काम करेगा जिन्होंने इसे 04.03.2021-नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2003-भारत का संविधान-अनुच्छेद 11,14-विदेशी अधिनियम, 1946-के बाद प्राप्त किया है। धारा 2 (ए)-वैध अपेक्षा का सिद्धांत।

नागरिकता अधिनियम, 1955-ss. 7 ए, 7 बी (1)-प्रवासी भारतीय नागरिक (ओ. सी. आई.) कार्डधारकों का अधिकार: ओ. सी. आई. का अधिकार

दोहरी नागरिकता के अभाव में कार्डधारक एक बीच का अधिकार है जब एक वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था और इस तरह के अधिकार को एक अधिसूचना के माध्यम से वापस लिया जा रहा था, तो निकासी की प्रक्रिया है यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि की गई कार्रवाई उचित है और इसका उद्देश्य से संबंध है-यह मनमाना नहीं होना चाहिए, बिना आधार के और इस तरह की शक्ति का प्रयोग बिना सोचे समझे नहीं किया जा सकता है।

परिणाम केवल इसलिए होता है क्योंकि यह एक संप्रभु शक्ति नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2003 है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 - एस. 7 बी. (2)-याचिकाकर्ताओं की याचिका कि एस. 7 बी (2) अनुच्छेद 14 के तहत अधिकार को बाहर नहीं करता है, यह लागू करने के लिए उपलब्ध है और विवादित में भेदभाव पर विचार किया गया है। ओ. सी. आई. कार्डधारकों को बाहर करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया जाना चाहिए-आयोजित: अनुच्छेद 14 को लागू किया जा सकता है और भेदभाव का विरोध केवल तभी किया जा सकता है जब समान रूप से रखे गए व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है-ओ. सी. आई. कार्डधारक अपने आप में एक वर्ग होने के नाते भारतीय नागरिकों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि दिए गए सीमित वैधानिक अधिकार-भारत के संविधान-अनुच्छेद 14 को बचाने का प्रयास किया जाए।

याचिकाओं/अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए, न्यायालय

पकड़ना: 1.1 अधिकांश याचिकाकर्ता ऐसे व्यक्ति हैं जो

या तो पूर्ण आयु के हैं या अभी तक पूर्ण आयु तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सभी बच्चे हैं, जिनके माता-पिता दोनों या उनमें से एक भारतीय नागरिक हैं। इन सभी

11.04.2005 , अनिवासी भारतीयों के साथ समानता इस तथ्य के कारण है कि अनिवासी भारतीय जो एक अलग वर्ग है, शिक्षा से संबंधित मामलों में भारतीय नागरिकों के समान अधिकार। यह इस बात पर आधारित है कि वर्ष 2005 में ओ. सी. आई. कार्डधारकों को इस तरह का अधिकार प्रदान किया गया था, जिसमें ओ. सी. आई. कार्डधारक अनुष्का संघर्ष और ओ. आर. एस. में भाग ले रहे थे।

बी. भारत संघ और

ओआरएस।

भारत में शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आयोजित चयन की प्रक्रिया में। इस तरह के लाभ को अखिल भारतीय पूर्व-चिकित्सा परीक्षा या इस तरह के अन्य परीक्षणों में उपस्थित होने के लिए बढ़ाया गया था ताकि उन्हें दिनांक 1 की अधिसूचना के माध्यम से संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसरण में प्रवेश के लिए पात्र बनाया जा सके। उक्त लाभ सभी ओ. सी. आई. कार्डधारकों द्वारा उसी तरह से प्राप्त किया जा रहा है जैसे भारतीय नागरिकों के साथ-साथ अनिवासी भारतीय भी प्राप्त कर रहे थे। उस परिस्थिति में, ऐसे अधिकांश ओ. सी. आई. कार्डधारक भारत में अपने पूरे शैक्षिक जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। निकाले गए विवरण से पता चलता है कि सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं ने भारत में छह साल से अधिक समय तक अध्ययन किया है और अधिकांश मामलों में, पूर्व-चिकित्सा परीक्षा के लिए योग्यता परीक्षा के चरण तक लगभग पूरा शैक्षणिक जीवन भारत में शुरू किया गया है। उल्लिखित विशिष्ट मामलों के अलावा

उन्हें प्रवेश के लिए योग्य बनाने के लिए परीक्षा या ऐसी अन्य परीक्षाओं में पूरी तरह से बदलाव किया गया है। यद्यपि अधिसूचना पूर्वव्यापी आवेदन को निर्दिष्ट नहीं कर सकती है, लेकिन पहले की अधिसूचनाओं और खंड 4 (ii) में पेश किए गए परंतुक को हटाने का प्रभाव विवादित अधिसूचना को दिनांक 04.03.2021 बना देगा। ' जहां तक सुनिश्चित अधिकार को छीनने की बात है, जिसके आधार पर याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों ने अपनी स्थिति बदल दी है और व्यावसायिक शिक्षा में अपने करियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद के साथ जीवन के प्रक्षेपवक्र को समायोजित किया है। [पैरा 44] [292 एफ-जी]

1.3 संविधान के अनुच्छेद 14 को लागू किया जा सकता है और

भेदभाव का विरोध केवल तभी करें जब समान रूप से रखे गए व्यक्ति [2023] 5 एस. सी. आर. हों।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अलग तरह से व्यवहार किया जाता है और उस दृष्टिकोण से ओ. सी. आई. कार्डधारक अपने आप में एक वर्ग होने के नाते भारतीय नागरिकों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि दिए गए सीमित वैधानिक अधिकार को बचाने का प्रयास किया जाए। उस हद तक निश्चित रूप से अपनाई गई प्रक्रिया में निष्पक्षता का उस उद्देश्य के साथ संबंध है जिसके लिए परिवर्तन किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित अधिसूचना जारी करने से पहले मन के अनुप्रयोग के लिए जांच की आवश्यकता होती है। [पैरा 45] [293-ए-बी]

1.4 दोहरी नागरिकता के अभाव में ओ. सी. आई. कार्डधारकों का अधिकार एक बीच का अधिकार है। जब एक वैधानिक अधिकार था प्रदत्त किया जाता है और इस तरह के अधिकार को एक अधिसूचना के माध्यम से वापस लिया जा रहा है, वापस लेने की प्रक्रिया यह प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है कि की गई कार्रवाई उचित है और इसका उद्देश्य से संबंध है। इसे होना चाहिए।

इस तरह की शक्ति का उपयोग बिना किसी आधार और प्रयोग के केवल एक संप्रभु शक्ति होने के कारण परिणामों की परवाह किए बिना नहीं किया जा सकता है। आपत्ति में नंगे बयान को छोड़कर

बयान के अनुसार, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए की गई वास्तविक कवायद के संबंध में कोई सामग्री नहीं है कि चयन प्रक्रिया में ओ. सी. आई. कार्डधारकों की भागीदारी ने भारतीय नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा के अवसर से वंचित कर दिया है। इस बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में कितने ओ. सी. आई. कार्डधारक चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने के बाद सीट प्राप्त करने में सफल रहे हैं, जिसके द्वारा भारतीय नागरिकों को सीटों से वंचित किया गया था, हालांकि वे समान योग्यता वाले थे। [पैरा 46,47] [293-सी-डी; 294-बी-सी]

1.5 याचिकाकर्ताओं की ओर से यह इंगित करने की मांग की जाती है कि दिया गया स्पष्टीकरण वास्तविक स्थिति का संकेत नहीं देता है।

पिछले वर्षों में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसा कि विद्वानों द्वारा तर्क दिया गया है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रिक्तियां सीटों के आरक्षण, अन्य क्रमपरिवर्तन और संयोजन के साथ-साथ पसंदीदा और गैर-पसंदीदा जैसे कई कारकों के कारण बनी रहेंगी।

महाविद्यालय। चाहे जो भी हो, उन युवा छात्रों को भी, जो तकनीकी रूप से हालांकि इस देश के नागरिक नहीं हैं, लेकिन जिन्हें इस तरह से कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, विवादित अधिसूचना को लागू करके दिए गए अधिकार को छीनने की सख्त आवश्यकता उचित नहीं होगी क्योंकि यह उस उद्देश्य के साथ सांठगांठ को प्रदर्शित नहीं करता है जिसे प्राप्त किया जाना था। भविष्य के लिए नीतिगत निर्णय, निश्चित रूप से अनुष्का के खिलाफ युद्ध और ओआरएस है।

बी. भारत संघ और

ओआरएस।

संप्रभु के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के क्षेत्र के भीतर

राज्य की शक्तियाँ। उस पहलू पर भी केवल इतना कहा गया है कि अधिसूचना जारी करने का निर्णय 19.07.2018 पर आयोजित सचिवों की बैठक में विचार-विमर्श की प्रकृति का संकेत दिए बिना लिया गया था। इसलिए, उस परिप्रेक्ष्य में, रखते हुए

दोहरी नागरिकता के लिए और इस तरह, दोहरी नागरिकता के विकल्प के रूप में, जिसे मान्यता नहीं दी गई थी, ओ. सी. आई. कार्ड लाभ बढ़ाया गया था। यदि उस संदर्भ में, ध्यान में रखे गए पहले याचिकाकर्ता के विवरण का विश्लेषण किया जाता है, हालांकि याचिकाकर्ता संख्या 1 को उसके जन्म के तुरंत बाद या यहां तक कि अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत प्रदान की गई नागरिकता के पंजीकरण द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का विकल्प उसके माता-पिता को तत्काल तथ्यों में उपलब्ध था, जब याचिकाकर्ता संख्या 1 के जन्म के तुरंत बाद ओसीआई कार्ड जारी करने के प्रावधान को वैधानिक रूप से मान्यता दी गई थी और अधिसूचना के तहत शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया था, याचिकाकर्ता संख्या 1 के माता-पिता के लिए वंश द्वारा नागरिकता प्राप्त करने या विदेशी देश की नागरिकता का त्याग करने और भारत की नागरिकता का पंजीकरण करने का विकल्प चुनने की आवश्यकता पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि दोहरी नागरिकता के विकल्प के रूप में लाभ प्रदान किया गया था और याचिकाकर्ता संख्या 1 को उपलब्ध था और उस आधार पर पूरे भविष्य की योजना बनाई गई थी और वह स्थिति तब तक जारी रही जब तक कि

वर्ष 2021। इसके अलावा, वर्ष 2021 में जब विवादित अधिसूचना जारी की गई थी, तब याचिकाकर्ता संख्या 1 की आयु लगभग 18 वर्ष थी

यानी, पूर्ण आयु और भले ही उस स्तर पर, याचिकाकर्ता को धारा [2023] 5 एस. सी. आर. के तहत प्रदान की गई भारत की नागरिकता का त्याग करना और मांग करनी थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5 (1) (च) (छ) ऐसी प्रक्रिया की अवधि उसे पूर्व-विद्यालय स्तर से पूरे शिक्षा पाठ्यक्रम के लाभ से वंचित कर देगी।

भारत में उसके द्वारा पीछा किया गया और पूर्व चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित होने का लाभ जो उसके लिए उपलब्ध था, एक स्ट्रोक में मिटा दिया जाएगा। न ही उसे उस देश में कोई विशेष लाभ मिलेगा जहाँ वह पैदा हुई थी। इसलिए उस परिस्थिति में जब अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (1) के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रदान किए गए अधिकार को देखते हुए याचिकाकर्ता संख्या 1 जैसे व्यक्तियों को एक संप्रभु राज्य से आश्वासन दिया गया था और सभी चीजें भारत के ऐसे प्रवासी नागरिकों द्वारा इसका लाभ उठाने के लिए की गई थीं और जब यह सीट के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लाभ में परिपक्व होने का चरण था, तो किए गए सभी 'ऐसे कार्यों' को विवादित व्यक्ति के मुद्दे के साथ पूर्ववत और रद्द नहीं किया जाना चाहिए था।

पहले की अधिसूचनाओं को हटाकर अधिसूचना जारी करें ताकि उन्हें दिए गए लाभ को भी छीन लिया जा सके। [पारस 50,51] [296-जी-एच; 297-ए-एफ]

1.7 इसके विपरीत, इस तरह के अर्जित अधिकारों को नहीं बचाने वाली विवादित अधिसूचना दिमाग के गैर-अनुप्रयोग का संकेत देगी और

कार्रवाई में मनमानी। आगे ऐसी परिस्थिति में जब कथित उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए अधिक सीटें उपलब्ध कराना था और यह प्रदर्शित किया जाता है कि सीटें खाली रह गई हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए इस तरह की अधिसूचना जारी की गई थी, वह अधिकारों को बचाए बिना और याचिकाकर्ताओं को छोड़कर और अन्य छात्रों के साथ समान रूप से रखे गए ओ. सी. आई. कार्डधारकों को उद्देश्य के बिना एक के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। जैसा कि इस आदेश के दौरान पहले ध्यान दिया गया था, ओ. सी. आई. कार्डधारकों को एनआरआई के साथ समानता में जो अधिकार दिया गया था, वह अन्य सभी समान उम्मीदवारों यानी भारतीय नागरिकों के साथ पूर्व चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होना था। ऐसी स्थिति में जहां यह प्रदर्शित किया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 वर्ष 2003 में पैदा हुआ है, 2006 से भारत में रह रहा है और उसने भारत में अपनी शिक्षा प्राप्त की है, ऐसी छात्रा जिसने भारत के नागरिक किसी भी अन्य छात्र के समान 'लाभ' और 'नुकसान' के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त की है, प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा या ऐसे अन्य प्रवेश परीक्षा में भाग लेना।

परीक्षा एक समान गति पर होगी और याचिकाकर्ता संख्या 1 को केवल इसलिए कोई बड़ा लाभ नहीं होगा क्योंकि वह में पैदा हुई थी कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए, जो अधिकार प्रदान किया गया था और अस्तित्व में था, उसने भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं किया था ताकि अचानक अनुष्का के खिलाफ युद्ध और ओआरएस से इनकार किया जा सके।

1.8 उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिस उद्देश्य के साथ अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया था ताकि भारत के प्रवासी नागरिकों को लाभ प्रदान किया जा सके और उस संदर्भ में जब समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से ओ. सी. आई. कार्डधारकों को अधिकार दिए गए थे, जिसके आधार पर ओ. सी. आई. कार्डधारकों ने इसे अपनाया था और भविष्य के लिए खुद को स्थापित करने के लिए काम किया था, तो इस तरह की प्रक्रिया में अर्जित अधिकार को वर्तमान तरीके से नहीं लिया जा सकता था, जो एक 'पूर्वव्यापी' अधिसूचना के रूप में कार्य करेगा। इसलिए, हालांकि अधिसूचना पूर्व-दृष्टि से पूर्वव्यापी संचालन को निर्दिष्ट नहीं करती है, चूंकि यह उपलब्ध अधिकारों को पूर्वव्यापी रूप से नष्ट कर देता है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिकार के ऐसे लाभार्थी इस तरह की अधिसूचना से प्रभावित न हों। यद्यपि पूर्वव्यापी निर्माण के विरुद्ध नियम केवल इसलिए कानूनों पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकता का एक हिस्सा इसके पारित होने के पूर्व से लिया गया है, तत्काल मामले में अधिसूचना के तहत अधिकार प्रदान किए गए थे और ऐसे अधिकार बाद की अधिसूचना से प्रभावित हो रहे हैं, जो हानिकारक है और इससे उस हद तक बचा जाना चाहिए और ऐसी पूर्वव्यापीता के बिना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि यह ओ. सी. आई. कार्डधारकों को प्रभावित नहीं करता है जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है, एक सीट हासिल की है और या तो एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम या इस तरह के अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम से गुजर रहे हैं या पूरा कर रहे हैं। हालांकि, यह उन व्यक्तियों के अधिकार से वंचित करने के लिए पूर्वव्यापी कार्रवाई के रूप में कार्य करेगा जिनके पास ऐसा अधिकार था जो उस हद तक टिकाऊ नहीं है। खेल समाप्त होने पर गोल पोस्ट को स्थानांतरित कर दिया जाता है। पूर्वव्यापी संचालन जिसके परिणामस्वरूप पूर्वव्यापी परिणाम होते हैं

अलग रखा जाना चाहिए और इस तरह के प्रतिकूल परिणाम होने चाहिए

टाल दिया। [पारस 53,54] [298-डी-एच; 299-ए]

1.10 यद्यपि दिनांक 1 की आक्षेपित अधिसूचना एक नीति पर आधारित है और एक संप्रभु राज्य की वैधानिक शक्ति का प्रयोग करती है, लेकिन उसमें निहित प्रावधान केवल उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो किसी विदेशी देश [2023] 5 एस. सी. आर. में पैदा हुए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. डी. 1 के बाद यानी अधिसूचना की तारीख और जो उस तारीख से ओ. सी. आई. कार्डधारक के रूप में पंजीकरण चाहते हैं क्योंकि उस समय माता-पिता के पास या तो वंश द्वारा नागरिकता लेने या देश में एक विदेशी के रूप में बने रहने का विकल्प होगा।

संप्रभु राज्य की वर्तमान नीति की पृष्ठभूमि। संप्रभु राज्य की नीति को आगे बढ़ाने में प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (1) के तहत उचित अधिसूचनाएं पारित करने की शक्ति है, ताकि उसमें दिए गए अधिकारों को प्रदान किया जा सके या उनमें बदलाव किया जा सके। हालाँकि, जब किसी प्रदत्त अधिकार को वापस लिया जाता है, संशोधित किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, तो उसके लिए अग्रणी प्रक्रिया को इस तरह के वापसी या संशोधन के उद्देश्य के लिए दिमाग के अनुप्रयोग, संबंध को प्रदर्शित करना चाहिए और ऐसा कोई भी निर्णय मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए। उस पृष्ठभूमि में, अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (1) के तहत सक्षम होने के बावजूद, दिनांकित आई. डी. 1 की विवादित अधिसूचना विवेक का उपयोग न करने के दोष से ग्रस्त है और संभावित होने के बावजूद, वास्तव में उन अधिकारों को छीन रही है जो संप्रभु राज्य की नीति के मामले के रूप में भी प्रदान किए गए थे। इसलिए, अधिसूचना संभावित रूप से टिकाऊ होने के कारण, यह घोषित किया जाता है कि अधिसूचना का विवादित हिस्सा जो प्रदान करता है

दिनांकित 11.04.2005, 05.01.2007 अधिसूचनाओं का अधिक्रमण

और 05.01.2009 और खंड 4 (ii), इसके परंतुक और स्पष्टीकरण (1) ओ. सी. आई. के संबंध में संभावित रूप से कार्य करेंगे।

जिन कार्डधारकों ने बाद में वही सुरक्षित किया है 04.03.2021 . [पारस 57-58] [299-F-H; 300-A-B]

मेनका गांधी बनाम। भारत संघ (1978) 1 एससीसी 248: [1978] 2 एससीआर 621; नवतेज सिंह जौहर और अन्य। वी. भारत संघ Thr. कानून और न्याय मंत्रालय के सचिव

(2018) 10 एससीसी 1: [2018] 7 एस. सी. आर. 379; एल. आई. सी. बनाम. उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र (1995) 5 एस. सी. सी. 482:

[1995] 1 पूरका एस. सी. आर. 349; सार्वभौमिक आयात एजेंसी और उत्तर। बनाम आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक और अन्य। [1961] 1 एस. सी. आर. 305; नवज्योति कूप। समूह आवास सोसायटी और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1992) 4 एस. सी. सी. 477 [1992] 1 पूरका एस. सी. आर. 709; जे. के. इंडस्ट्री लिमिटेड बनाम भारत संघ (2007) 13 एससीसी 673: [2007] 12 एस. सी. आर. 136; पंजाब राज्य और अन्य। वी. राम लुभाया बग्गा और अन्य। (1998) 4 एससीसी 117:

[1998] 1 एस. सी. आर. 1120; अनुष्का रेन्गुन्थवार और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और
ओआरएस।

इजहार अहमद खान और अन्य। वी. भारतीय संघ ए. आई. आर. 1962

एस. सी. 1052 [1962] पूरक। एस. सी. आर. 235; भारत-चीन भाष

नेविगेशन Co.Ltd। बनाम जसजीत सिंह और अन्य। ए. आई. आर 1964

एससी 1140 [1964] एससीआर 594; ए. पी. बनाम राज्य खुदीराम
चकमा (1994) पूरक 1 एस. सी. सी. 615: [1993] 3 एससीआर

401 ; न्यूरेनबर्ग बनाम के हंस मुलर। अधीक्षक,

प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता और अन्य। आकाशवाणी 1955 एससी 367:

[1955] एससीआर 1284; राज्य डब्ल्यू. वी. वी. अनवर अली सरकार

वी. बिहार राज्य [1955] 1 एससीआर 1045;
केरल राज्य बनाम। एन. एम. थॉमस (1976) 2 एससीसी 310:

[1976] 1 एस. सी. आर. 906; के. थिम्मप्पा बनाम। अध्यक्ष, केंद्रीय

निदेशक मंडल (2001) 2 एस. सी. सी. 259: [2000] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 368 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[1978] 2 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा

24

[2018] 7 एससीआर 379

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

[1995] 1 पूरक। एससीआर 349

पै

रा 26

	संदर्भित किया गया है	
[1961] 1 एससीआर 305		
	संदर्भित किया गया है	
रा 27		पै
[1992] 1 पूरका एससीआर 709		
	संदर्भित किया गया है	
रा 28		पै
[2007] 12 एससीआर 136		
	संदर्भित किया गया है	
रा 29		पै
[1998] 1 एससीआर 1120		
रा 31		पै
	संदर्भित किया गया है	
[1962] पूरका एससीआर 235		
रा 32 (i)		पै
	संदर्भित किया गया है	
[1964] एससीआर 594		
रा 32 (ii)		पै
	संदर्भित किया गया है	
[1993] 3 एससीआर 401		
रा 32 (iii)		पै

	संदर्भित किया गया है	
रा 32 (iv)		पै
[1955] एससीआर 1284		
	संदर्भित किया गया है	
[1952] एससीआर 284		
	संदर्भित किया गया है	
रा 33 (i)		पै
[1955] 1 एससीआर 1045		
		पै
रा 33 (ii)		
	संदर्भित किया गया है	
[1976] 1 एससीआर 906		
		पै
रा 33 (iii)		
	संदर्भित किया गया है	
[2000] 5 पूरका एससीआर 368		
	संदर्भित किया गया है	

34 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णय: लेखन याचिका

(सिविल) 2021 की सं. 891।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत
के साथ

लेखन याचिका (सी) सं। 503 , 35 , 246 , 155 , 347 , 380 , 322 , 629 , 740 , 706
, 741 2022 का सिविल अपील सं. 2023 का 812, रिट याचिका (सी) सं. 22,

पी. चिदंबरम, के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कुणाल चीमा, श्रीमती अदिति देशपांडे पारखी, शिवम दुबे, रोमी चाको, सुश्री के. वी. भारती उपाध्याय, शिवेंद्र सिंह, धनंजय मिश्रा, विक्रम द्विवेदी, रोहन शर्मा, डॉ. मुकुट नाथ वर्मा, वी. के. सतीजा, हिमांशु सतीजा, हर्षित खंडूजा, श्रीमती नेहा मेहता, अभय प्रताप सिंह, श्रीराम पी., मेसर्स। के. जे. जॉन एंड कंपनी, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अखिल अब्राहम रॉय, विजय वल्सन, अभिषेक आनंद, सुश्री उन्नीमाया एस., अभिषेक जेबराज, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, सुश्री संजना ग्रेस थॉमस, सुश्री ए. रेना श्रुति, सुश्री मंटिका वोहरा, रंजीत वी. फिलिप, मुकुंद पी. उन्नी, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

रवींद्र केशवराव अदसुरे, लव मिश्रा, रोहन दरादे, यश

प्रशांत सोनावने, सुश्री साक्षी अजीत काले, अधिवक्ता। आवेदक के लिए। सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., सुश्री चित्रांगदा आर., एम. सिंह, अमन शर्मा, सुश्री पूर्णिमा सिंह, रुस्तम चौहान, अपूर्व कुरुप,

श्रीमती आकांक्षा कौल, श्रीमती रुचि कोहली, कानू अग्रवाल, उदय खन्ना, श्रीमती दीपावली दत्ता, संजय कुमार त्यागी, राजन कुमार चौरसिया,

निखिल मजीठिया, जी. एस. मङ्कर, अरविंद कुमार शर्मा, राज बहादुर सिंह, वी. एन. रघुपति, वरुण वर्मा, सोनल जैन, रुपेश कुमार,

सुश्री पंखुड़ी श्रीवास्तव, सुश्री नीलम शर्मा, राजीव शर्मा, सिबो शंकर मिश्रा, निशे राजन शोंकर, अब्राहम सी. मैथ्यू, श्रीमती अनु के. जॉय, अलीम अनवर, रजत जोसेफ, ऋषिकेश चिताली, विजय कारी सिंह, रंजीत सांगले, ए. कार्तिक, कृष्ण कुमार, सुश्री रेखा दयाल, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, अखिलेश्वर झा, निहारिका द्विवेदी, सुश्री श्वेता सैंड, रवीश कुमार गोयल, सुश्री नितिन शर्मा, अमित कुमार चावला, अनिल कुमार, गौरव शर्मा, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

अनुष्का रेन्नुन्थवार और ओआरएस। वी. भारत संघ और

ओआरएस।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया था:

न्याय

1. इन सभी याचिकाओं में याचिकाकर्ता प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हैं। वे सभी छात्र हैं जो अभी-अभी पहुंचे हैं

पूर्ण आयु या इस आयु से कम हैं। सभी याचिकाकर्ता एन. ई. ई. टी. चयन प्रक्रिया और उसके बाद स्नातकोत्तर के साथ-साथ चिकित्सा के क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करके एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम पूरा करके डॉक्टर बनने के इच्छुक हैं। उनमें से कुछ स्नातकोत्तर और एक सुपर स्पेशलिटी भी करना चाहते हैं। तथ्यों के वर्णन के उद्देश्य से, डब्ल्यू. पी. में दिए गए कथन। (ग) 2021 का No.891 जिसे प्रमुख मामले के रूप में लिया गया था, नोट किया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वे सभी प्रयास कर रहे हैं और उस अधिकार के आधार पर एन. ई. ई. टी.-यू. जी. परीक्षाओं में बैठने की तैयारी कर रहे हैं जो उन्हें दिनांकित 11.04.2005 और 05.01.2009 अधिसूचनाओं के तहत उपलब्ध था। उक्त अधिसूचनाओं के माध्यम से, भारत के प्रवासी नागरिकों (संक्षिप्त में 'ओ. सी. आई. ') कार्डधारकों को शिक्षा के क्षेत्र सहित अधिसूचित सुविधाओं के संबंध में अनिवासी भारतीयों (संक्षिप्त में 'एन. आर. आई. ') के साथ समानता का अधिकार दिया गया था, जो बदले में भारतीय नागरिकों के साथ समानता रखते थे। दिनांक 1 की अधिसूचना के माध्यम से, भारत में शिक्षा के उक्त अधिकार को अखिल भारतीय पूर्व-चिकित्सा परीक्षा या ऐसी अन्य परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए भी आगे बढ़ाया गया था ताकि वे संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसरण में प्रवेश के लिए पात्र बन सकें। नागरिकता अधिनियम, 1955 ("अधिनियम 1955") की धारा 7 बी (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ओ. सी. आई. कार्डधारकों को इस तरह के अधिकार दिए जाने के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं को एन. ई. ई. टी. यू. जी. परीक्षा में बैठने का भी आश्वासन दिया गया था ताकि चिकित्सा पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक सीट हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा की जा सके।

2. याचिकाकर्ताओं के लिए ऐसा अधिकार उनके जन्म के लगभग तुरंत बाद से उपलब्ध था, क्योंकि इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का जन्म वर्ष 2003 में हुआ था। इस तथ्य को छोड़कर कि वे एक विदेशी देश में पैदा हुए थे, वे इस देश में 10 से 15/17 वर्षों तक रहे थे। उस दृष्टिकोण से, एन. ई. ई. टी. यू. जी. परीक्षाओं और एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए 12 वीं कक्षा सहित पूरे शैक्षिक जीवन को भारत में आगे बढ़ाया गया था। वास्तव में, अधिकांश मामलों में, याचिकाकर्ताओं के माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं और किसी भी मामले में, उनमें से एक भारतीय नागरिक है। यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जहां माता-पिता दोनों ओ. सी. आई. कार्डधारक हैं, बच्चों ने अपना अधिकांश जीवन भारत में बिताया है क्योंकि उनकी जड़ें भारत में हैं जहां दादा-दादी और परिवार यहां हैं।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. जब यह स्थिति थी तो प्रतिवादी संख्या 1 ने धारा के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना दिनांक 04.03.2021 जारी की।

7 अधिनियम, 1955 के बी (1) के तहत प्रवेश परीक्षा में बैठने के भारतीय नागरिकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के मौजूदा अधिकार को हटा दिया गया था और केवल अनिवासी भारतीयों के लिए या अतिरिक्त सीटों के लिए आरक्षित सीटों के मुकाबले प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था। दिनांक 04.03.2021 की आक्षेपित अधिसूचना के खंड 4 (ii) का परंतु वास्तव में स्पष्ट करता है कि ओसीआई कार्डधारक किसी के खिलाफ प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

यह सीट विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित है। ऐसा यह स्पष्टीकरण देकर किया जाता है कि ओ. सी. आई. कार्डधारक एक विदेशी राष्ट्रीय धारक है।

विदेश से पासपोर्ट और भारत का नागरिक नहीं है।

4. इसलिए याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह की अधिसूचना गैर-पीछे हटने के सिद्धांत के खिलाफ है क्योंकि यह अधिकार था

वर्ष 2005 से प्रदान किया जा रहा है, एक बेहतर अधिकार के रूप में आगे बढ़ने और परिपक्व होने के बजाय कटौती और उलट किया जा रहा था। याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन किया जाता है क्योंकि ऐसा अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है।

व्यक्ति ", भले ही कोई भारत का नागरिक न हो। तत्काल तथ्यों में,

याचिकाकर्ताओं का अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (1), 7 डी, 8 (1) और 9 (1) की वैधता के साथ कोई विवाद नहीं है। याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं की संप्रभु शक्ति को स्वीकार करते हुए, केवल उस तरीके से व्यथित हैं जिसमें दिनांकित 04.03.2021 की विवादित अधिसूचना जारी की गई है, जिसके द्वारा एक मौजूदा अधिकार छीन लिया गया है। याचिकाकर्ताओं का इस प्रकार तर्क है कि वे न केवल ओ. सी. आई. कार्डधारक हैं, बल्कि निवासी ओ. सी. आई. कार्ड धारक हैं और इसलिए उनके साथ भारत के किसी भी अन्य नागरिक की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने आक्षेपित अधिसूचना के माध्यम से ओ. सी. आई. का नाम रद्द कर दिया है।

उन सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया से कार्ड धारक जिनके लिए भारतीय नागरिक चयन प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार हैं, वे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इन याचिकाओं में दिनांकित 04.03.2021 की विवादित अधिसूचना पर आरोप लगाते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

5. याचिकाकर्ताओं ने तदनुसार एक मुद्दा जारी करने की मांग की है

खंड 4 (ii), इसके परंतुक और स्पष्टीकरण (1) को निरस्त करने के लिए उपयुक्त रिट, जैसा कि दिनांक 04.03.2021 वाली आशेषित अधिसूचना में निहित है।

No.2611/CC/05/2018-ओसीआई। 6. प्रतिवादी संख्या 1 ने अधिसूचना को उचित ठहराने के लिए अपना आपत्ति बयान दायर किया है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यद्यपि याचिकाओं के तत्काल समूह में, अनुष्का शासन और ओ. आर. एस. के प्रावधानों की वैधता।

बी. भारत संघ और

ओआरएस।

विभिन्न प्रावधानों के संबंध में स्पष्टता। यह तर्क दिया जाता है कि इसका कारण भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है और ऐसे मामलों में राज्य अपने नागरिकों को ओ. सी. आई. कार्ड रखने वाले विदेशियों की तुलना में प्राथमिकता दे सकता है। इस संबंध में यह कहा गया है कि भारत में चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या बहुत सीमित है और यह भारतीय नागरिकों की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा नहीं करती है। इसलिए ऐसी सीटों पर प्रवेश का अधिकार मुख्य रूप से ओ. सी. आई. कार्डधारकों सहित विदेशियों के बजाय भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत संरक्षण का दावा करने का अधिकार उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है जो नागरिक नहीं है, विशेष रूप से शिक्षा के मामलों में और अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से दिए गए विशेषाधिकार तक सीमित है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 दिनांकित 04.03.2021 अधिसूचना को उचित ठहराना और बनाए रखना चाहता है, जिसका एक हिस्सा चुनौती के दायरे में है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. उपरोक्त के आलोक में हमने श्री पी. चिदंबरम श्री के. वी. विश्वनाथन को संबंधित याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकीलों के साथ-साथ श्री कुणाल चीमा और अन्य विद्वान वकीलों को संबंधित याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित होते हुए सुना है। हमने यह भी सुना है कि सुश्री.पर्याया भाटी, उत्तरदाताओं की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थीं। प्रकाश में, हमने याचिका पत्रों और सभी दस्तावेजों का अध्ययन किया है

हमारे लिए उपलब्ध है।

8. याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलों का सारांश है -

पुनर्व्यवस्थित करना;

एक सामान्य आदेश उन सभी योग्य उम्मीदवारों पर लागू होता है जो भारतीय नागरिकों के बराबर सामान्य रूप से परामर्श के लिए उपस्थित होने के लिए समान रूप से स्थित हैं और इसे उसमें बताए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों पर लागू किया गया था। 2021 के WP No.891 में कई याचिकाकर्ता, जो सभी थे

एन. ई. ई. टी.-2021 के उम्मीदवार, एन. ई. ई. टी. 2021 के लिए उपस्थित हुए और अर्हता प्राप्त की और प्रवेश प्राप्त किया और अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। वे अपनी पढ़ाई के दूसरे वर्ष में होंगे। ऐसे अन्य ओ. सी. आई. भी होंगे जो रिट याचिकाओं का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.11.2021 के आदेश का लाभ उठाया होगा, जो इन पर लागू होने वाला एक सामान्य आदेश था।

सभी।

ओ. सी. आई. को 2005 से एन. आर. आई. के बराबर माना जाता रहा है।

भारत में दिए गए विभिन्न अधिकारों और विशेष रूप से शिक्षा के अधिकारों और काम करने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि कई ओ. सी. आई. के दादा-दादी/परिवार/जड़ें भारत में हैं, वे बहुत पहले भारत वापस आ गए थे और यहां रह रहे हैं और काम कर रहे हैं और करों आदि के रूप में किसी भी अन्य नागरिक की तरह राष्ट्र के लिए योगदान दे रहे हैं। यहाँ रहने की अवधि लगभग 16 से 17 वर्ष तक होती है।

उषा रेन्गुन्थवार और ओआरएस। वी. भारत संघ और

ओआरएस।

कि 04.03.2021 (विवादित अधिसूचना) तक, ओसीआई सभी सीटों पर प्रवेश लेने के हकदार थे जैसे एनआरआई थे (जो अभी भी हकदार हैं) और केवल एनआरआई सीटों तक ही सीमित नहीं थे या अतिरिक्त सीटें, लेकिन उक्त भाग के अनुसार

विवादित अधिसूचना, ओसीआई अब केवल एनआरआई यानी एनआरआई सीटों या अतिरिक्त सीटों के लिए आरक्षित सीटों के हकदार हैं, जो है - भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भेदभावपूर्ण और उल्लंघनकारी।

अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है, लेकिन उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। हालांकि, उचित वर्गीकरण के वैध होने के लिए, दोहरे परीक्षण हैं अर्थात (i) वर्गीकरण को बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए और (ii) कि अंतर का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए। सीटें हैं।

रह गए, अधूरे। इसलिए भारतीय नागरिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हैं।

यह आगे तर्क दिया जाता है कि एकमात्र उद्देश्य जिसे प्रत्यर्थी सं. 1 प्रतीत होता है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना क्योंकि सीटें सीमित हैं। हालांकि, अगर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखा जाए, यानी 2018-2019 के बाद, तब भी जब ओसीआईएस सभी सीटों के हकदार थे और उन्होंने लिया

तब प्रवेश, अंतिम परामर्श के अंत में कुछ सौ सीटें खाली रह गई थीं। वास्तव में आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि साल दर साल सीटों में काफी वृद्धि हुई है, फिर भी अंतिम परामर्श के अंत में सीटें खाली रही हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उक्त उद्देश्य एक गलत नाम है और [2023] 5 एस. सी. आर. का उक्त भाग है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवादित अधिसूचना मनमानेपन और दिमाग के गैर-अनुप्रयोग की गंध करती है।

आक्षेपित अधिसूचना का उक्त हिस्सा नवतेज सिंह जौहर [2018 (10) एस. सी. सी. 1] के मामले में चर्चा किए गए "गैर-प्रतिगामी" के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ओ. सी. आई. को प्राप्त अधिकारों को वापस ले लिया गया है। पिछले कई वर्षों से।

ओ. सी. आई. ने एक ही राज्य के स्कूलों से 10 वीं और 12 वीं उत्तीर्ण करते हुए शिक्षा की विशेष धारा को अपनाया है, जो उनके लिए उपलब्ध अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अधिवास/निवास आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसलिए उनके ऐसे कार्यों को "किए गए कार्यों" के रूप में सहेजा जाएगा। इस प्रस्तुति के समर्थन में, सार्वभौमिक आयात एजेंसी और ए. एन. आर. पर निर्भरता रखी गई थी। वी. आयात और निर्यात और अन्य का मुख्य नियंत्रक। [1961 (1) एस. सी. आर 305]

ओ. सी. आई. एस. "वैध अपेक्षा" रखने के हकदार थे क्योंकि नवज्योति [1992 (4) एस. सी. सी. 477] के मामले में यह सुनिश्चित किया गया है कि उक्त अधिकार उनके लिए उपलब्ध रहेंगे और प्रतिगामी नहीं होंगे। कि केवल सीमित संख्या में ओ. सी. आई. परीक्षा देते हैं और परीक्षा से बाहर निकलते हैं।

वे केवल एक छोटी संख्या को पास करते हैं और प्रवेश के लिए पात्र हो जाते हैं। इसलिए यदि ओ. सी. आई. एस. को योग्यता के आधार पर सभी सीटों पर प्रवेश लेने की अनुमति दी जाती है तो कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जा रहा था।

और उसी को वापस लेना इसलिए मनमाना है और अनुचित है।

9. प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत विवाद का सारांश इस प्रकार है;

वर्तमान मामला अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिकों और प्रवासी नागरिकों के बीच किए गए वर्गीकरण के संबंध में एक एकल मुद्दा उठाता है। भारत कार्डधारकों का और वही वैधानिक होने के कारण, क्या यह टिकाऊ है। यह तर्क दिया जाता है कि विवादित अधिसूचना द्वारा किया गया वर्गीकरण वैधानिक प्रावधानों द्वारा समर्थित है जो राज्य के हित को वैध बनाता है

और यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक संस्थानों में सीमित संख्या में सीटें भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हों और विदेशियों द्वारा नहीं ली जाएं। यह तर्क दिया जाता है कि किसी भी संप्रभु देश के लिए, गैर-नागरिकों को दिए गए अधिकार और विशेषाधिकार अलंघनीय संप्रभु शक्तियों के प्रयोग में हैं और अनिवार्य रूप से निरंकुश और अयोग्य हैं।

अदालतों के पास अनुष्का रेन्गुन्थवार और ओआरएस हैं। वी. भारत संघ और

ओआरएस।

बीजा, आप्रवासन या विदेशियों से संबंधित ऐसे मुद्दों में हस्तक्षेप करने से लगातार इनकार किया। संप्रभुता की घटना होने के नाते विदेशियों को बाहर करने की शक्ति का प्रयोग सरकार को करना है। ओ. सी. आई. शासन संसद और कार्यपालिका द्वारा दिया गया एक विशेषाधिकार है, जो पूरी तरह से देश की संप्रभु नीति के क्षेत्र में आता है। नागरिकता को भारत के संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में विनियमित किया गया है, जिसके अनुसार इसे विनियमित करने के लिए नागरिकता अधिनियम लागू किया गया है। नागरिकता अधिनियम की धारा 2 (ई. ई.) ओ. सी. आई. कार्डधारकों को भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है।

अधिनियम की धारा 7 ए के तहत केंद्र सरकार द्वारा। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने उक्त संवैधानिक प्रावधानों और नागरिकता अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में शिक्षा प्राप्त करने का विशेषाधिकार अधिसूचना जारी करके अधिनियम की धारा 7 (बी) के संदर्भ में उसी के प्रदान करने के अनुसार था।

10. इन याचिकाओं में आक्षेपित दिनांकित 04.03.2021 अधिसूचना मंत्रालय द्वारा नीति की निरंतरता में जारी की जाती है।

संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप भारत संघ के साथ

अधिसूचना के संदर्भ में, यह तर्क दिया जाता है कि यह बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है कि ओ. सी. आई. कार्डधारकों को प्रवेश के संबंध में किसी भी स्तर पर भारतीय नागरिकों के साथ समानता देने का इरादा नहीं था, लेकिन समानता हमेशा एन. आर. आई. के साथ थी। यह नीति 2004 से सुसंगत थी जब ओ. सी. आई. कार्डधारकों का तंत्र शुरू किया गया था, ताकि उन्हें एन. आर. आई. के बराबर माना जा सके। हालांकि, पहले की अधिसूचनाओं की व्याख्या में कुछ अंतर था और भारतीय नागरिक छात्रों के साथ-साथ एनआरआई को सीटों के लिए जो लाभ उपलब्ध था, उसे भी बढ़ाया जा रहा था। इसलिए, आई. डी. 1 पर आयोजित बैठक में ओ. सी. आई. कार्डधारकों के शैक्षिक अधिकारों पर व्यापक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि ओ. सी. आई. कार्डधारकों को एन. आर. आई. सीटों के लिए कोटा में एन. आर. आई. के बराबर माना जा सकता है और वे भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित सीटों के खिलाफ पात्र नहीं होंगे।

11. इसलिए 04.03.2021 की समेकित अधिसूचना का मुद्दा 2005, 2007 और 2009 की पिछली अधिसूचनाओं के स्थान पर था।

विभिन्न प्रावधानों के संबंध में स्पष्टता लाना जो इसके तहत थे

काफी समय से गृह मंत्रालय का विचार। इस संदर्भ में सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया और अधिसूचना जारी की गई।

12. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा उनके इस तर्क को पुष्ट करने के लिए उद्धृत निर्णयों का संदर्भ कि विचार [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिसूचना की वैधता के संबंध में इसी तरह का उद्देश्य नहीं हो सकता है जब भारत के नागरिकों द्वारा इस पर हमला किया जाता है और निर्दिष्ट अन्य निर्णयों पर उचित स्तर पर विचार किया जाएगा। राशि और

यह तर्क दिया जाता है कि विवादित अधिसूचना में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता इस न्यायालय से कोई राहत लेने के हकदार नहीं हैं। 13. प्रतिद्वंद्वी विवादों के आलोक में, सीमा पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हालांकि तर्कों को विस्तृत रूप से संबोधित किया गया था और

अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिवादी संख्या 1, हम याचिकाओं के इस समूह में अधिक विस्तार से ध्यान देना आवश्यक नहीं पाते हैं। यही कारण है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सामने रखे गए मामले से वे सवाल नहीं उठा रहे हैं ओ. सी. आई. कार्डधारकों के संबंध में अधिकार निर्धारित करने वाली अधिसूचना जारी करने की प्रत्यर्थी संख्या 1 की शक्ति। हालांकि, शिकायत केवल यह है कि उनके पक्ष में मौजूद अधिकार को इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना उनके नुकसान के लिए बदल दिया गया है कि अधिकांश याचिकाकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन भारत में बिताया है और योग्यता परीक्षा के लिए उपस्थित होने सहित भारत में अपने शैक्षिक करियर को भी आगे बढ़ाया है। इस प्रकार यहां याचिकाकर्ताओं की एकमात्र शिकायत खंड 4 (ii) के परंतुक और दिनांक 1 की विवादित अधिसूचना में निहित स्पष्टीकरण के संबंध में है, जिसके तहत एक सीमा निर्धारित की गई है जिसमें उन्हें केवल एनआरआई के लिए उपलब्ध सीटों का हकदार बनाया गया है और उन्हें विशेष रूप से उन सीटों पर प्रवेश लेने से बाहर रखा गया है जो विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।

14. इस संबंध में अधिनियम, 1955 के जिन प्रावधानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उन्हें नीचे पढ़ा जा सकता है:

" 7 ए. भारत कार्डधारक के विदेशी नागरिकों का पंजीकरण।

(1) केंद्र सरकार, ऐसी शर्तों, प्रतिबंधों और तरीके के अधीन, जो निर्धारित किए जा सकते हैं, एक आवेदन पर

इस ओर से बनाया गया, एक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकरण करें

(क) पूर्ण आयु और क्षमता का कोई भी व्यक्ति,

((i) जो किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन संविधान के प्रारंभ के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था; या उषा रंगनाथ और ओआरएस।

वी. भारत संघ और

ओआरएस।

((ii) जो किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन संविधान की शुरुआत के समय भारत का नागरिक बनने का पात्र था।

संविधान; या

((iii) जो किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन किसी क्षेत्र से संबंधित है।

जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया।

या
पोता है।

((iv) जो ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता या बड़ा

एक नागरिक; या

(ख) एक व्यक्ति, जो खंड (क) में उल्लिखित व्यक्ति की नाबालिग संतान है; या

(ग) एक व्यक्ति, जो एक नाबालिग बच्चा है, और जिसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से एक भारत का नागरिक है; या (घ) भारतीय नागरिक के विदेशी मूल के पति या धारा 7 ए के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक के विदेशी मूल के पति या पत्नी और जिनकी शादी पंजीकृत की गई है और तुरंत कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए जीवित रही है।

इस धारा के तहत आवेदन प्रस्तुत करने से पहले:

बशर्ते कि भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकरण की पात्रता के लिए, ऐसे पति या पत्नी के अधीन किया जाएगा

भारत में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व सुरक्षा मंजूरी: बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति, जो या जिसके माता-पिता या दादा-दादी या दादा-दादी में से कोई एक है या था

पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे अन्य देश का नागरिक जो केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, इस उप-धारा के तहत भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होगा।

2. केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को निर्दिष्ट कर सकती है जिससे मौजूदा भारतीय मूल के कार्डधारकों को भारतीय कार्डधारकों का प्रवासी नागरिक माना जाएगा।

स्पष्टीकरण। - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "भारतीय मूल के कार्डधारकों के व्यक्ति" का अर्थ है वे व्यक्ति जो इस रूप में पंजीकृत हैं - इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा 19 अगस्त, 2002 को जारी अधिसूचना संख्या 26011/4/98 एफ. आई. के तहत।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार, यदि यह संतुष्ट है कि

परिस्थितियाँ मौजूद हैं, परिस्थितियों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, किसी व्यक्ति को भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत करें।

" 7 बी. प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक पर अधिकारों का हस्तांतरण (1) उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक ऐसे अधिकारों (उप-धारा (2) के तहत निर्दिष्ट अधिकारों के अलावा) का हकदार होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

(2) एक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक भारत के नागरिक को प्रदान किए गए अधिकारों का हकदार नहीं होगा।

(ई) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत;
(च) मतदाता के रूप में पंजीकरण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 के तहत;

(छ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 3 और 4 के तहत लोक सभा या राज्य परिषद का सदस्य होने की पात्रता के संबंध में, जैसा भी मामला हो; (ज) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 5, 5 ए और 6 के तहत किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होने की पात्रता के संबंध में, जैसा भी मामला हो;

((i) संघ या किसी भी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए, सिवाय उषा शासन और ओ. आर. एस. में नियुक्ति के।

वी. भारत संघ और

ओआरएस।

उस ओर से आदेश निर्दिष्ट करें।
रखी जाएगी।

(3) उप-धारा (1) के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना

संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष "।

(जोर दिया गया)

15. उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों को शुरू में शामिल किया गया था

2004 और उसके बाद की शुरुआत पर प्रतिस्थापित किया गया था

वर्ष 2005 में सायन और उसके बाद समय-समय पर प्रतिस्थापित किया गया। उस पर

ऐसी श्रेणी के नागरिकों को ओ. सी. आई. का दर्जा दिया जा रहा है।धारकों के लिए, इसने अधिनियम, 1955 (ऊपर) की धारा 7 बी के तहत ओ. सी. आई. कार्डधारकों को अधिकार प्रदान करने का भी प्रावधान किया।

16. अधिनियम की धारा 7 बी (1) के तहत उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए,

अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 जारी की गई थी जो इस प्रकार प्रदान करती है

इसके अंतर्गत:

" गृह मंत्रालय

सूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

एस. ओ. 542 (ई)-उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(1) नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7 बी के अनुसार, केंद्र
सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारों को निर्दिष्ट करती है जिनके लिए

धारा के तहत भारत के प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत व्यक्ति

7 उक्त अधिनियम का ए हकदार होगा, अर्थात्:

(क) किसी भी कार्य के लिए भारत आने के लिए आजीवन एकाधिक प्रवेश वीजा का अनुदान।

उद्देश्य;

(ख) विदेशी क्षेत्रीय अधिकारी के साथ पंजीकरण से छूट या

उन्हें आर्थिक, वित्तीय और अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाएँ
क्षेत्र

संबंधित मामलों को छोड़कर शैक्षिक

कृषि या बागान संपत्तियों का अधिग्रहण।

[एफ. नं. 26011/2/2005-

आईसी]

दुर्गा शंकर मिश्रा, जे. सिकरी "।

(जोर दिया गया)

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. उक्त अधिसूचना के माध्यम से, किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने के लिए एकाधिक प्रवेश जीवन-लंबा वीजा देने के अलावा, जहां तक आर्थिक संबंध हैं,

कृषि या बागान संपत्तियों के अधिग्रहण को छोड़कर, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के साथ समानता प्रदान की गई थी। अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (1) के तहत जारी एक बाद की अधिसूचना द्वारा, हालांकि शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कोई अधिकार निर्दिष्ट नहीं किया गया था, ओ. सी. आई. कार्डधारकों को भारतीय बच्चों को अंतर-देश गोद लेने के मामले में अनिवासी भारतीयों के साथ समान व्यवहार दिया गया था और हवाई किराए में शुल्क के मामले में भारतीय नागरिकों के बराबर व्यवहार किया जाना था और उसी प्रवेश शुल्क के लिए भी जो उनसे लिया जा रहा था। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की यात्रा करने के लिए घरेलू भारतीय आगंतुक।

18. इसके अलावा, व्यवसायों को आगे बढ़ाने और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित एक अधिसूचना दिनांक 05.01.2009 जारी की गई थी, जो नीचे दी गई है:

" ओवरसीज इंडियन अफेयर्स मंत्रालय

सूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी 2009

S.O.36 (ई)-नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7 बी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार की अधिसूचनाओं की निरंतरता में

गृह मंत्रालय संख्या S.O.542 (E), दिनांक 11 अप्रैल, 2005 और विदेशी मामलों के मंत्रालय S.O.12 (E), दिनांक 6 जनवरी, 2007 में, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारों को निर्दिष्ट करती है जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 7 ए के तहत भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति हकदार होंगे:

अर्थात्:

(अ)

गैर-निवासी भारतीय के साथ समानता,

((i)

राष्ट्रीय स्मारकों की यात्रा के लिए प्रवेश शुल्क लिया जाएगा, भारत में ऐतिहासिक स्थल और संग्रहालय;

भारत में निम्नलिखित व्यवसायों का अनुसरण करते हुए,

((ख)

संबंधित में निहित प्रावधानों का पालन

अधिनियम, अर्थात्:

(i) डॉक्टर, दंत चिकित्सक, नर्स और फार्मासिस्ट;

(€ (ii) अधिवक्ता; अनुष्का रेन्गुन्थवार और ओआरएस। बी. भारत संघ और

ओआरएस।

((ग) वास्तुकार;

((iv) चार्टर्ड एकाउंटेंट;

अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट या इस तरह के लिए उपस्थित होना

(ख)

उन्हें प्रवेश के लिए योग्य बनाने के लिए अन्य परीक्षण

संबंधित में निहित प्रावधानों का पालन

क्रियाएँ।

[F.No.OI-

15013/13/2008-DS]

डी. एन. श्रीवास्तवा, जे. सिकरी

"।

(जोर दिया गया)

19. उक्त अधिसूचना दिनांक 05.01.2009 के माध्यम से ओसीआई

कार्डधारकों को व्यवसायों को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया था

उसमें भारत में इंगित किया गया है और अखिल भारतीय पूर्व-चिकित्सा परीक्षा या ऐसे अन्य परीक्षणों के लिए भी उपस्थित होना ताकि वे संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसरण में प्रवेश के लिए पात्र बन सकें। चूंकि एनआरआई की इस संबंध में भारतीय नागरिकों के साथ समानता थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं सहित ओसीआई कार्डधारकों को भी यही लाभ दिया गया।

20. 2005, 2007 की तीन अधिसूचनाओं का संचयी अवलोकन

और 2009 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा धारा 7 ए से 7 डी के माध्यम से अधिनियम, 1955 में संशोधन के चरण और उसके अनुसार जारी अधिसूचनाओं से धारा 7 बी (1) के तहत अधिकार प्रदान करने और इस तरह के अधिकार को चरण दर चरण विस्तारित करने से यह निश्चित रूप से इंगित होगा कि आवश्यकता के आधार पर, भारत के प्रवासी नागरिकों को बेहतर अधिकार प्रदान करने में प्रगति की गई थी, जिन्हें विदेश में उनके जन्म की घटना को छोड़कर अन्य सभी मामलों में भारतीय नागरिकों के समान ही रखा गया था और एन. आर. आई. और ओ. सी. आई. कार्डधारकों की सीमित विदेशी संबद्धता ने समानता के लिए उनकी तुलना एक-दूसरे से कर दी। वास्तव में, हवाई किराए और रुचि के स्थानों पर प्रवेश शुल्क के उद्देश्य से, उन्हें समानता दी गई थी

भारतीय नागरिकों के साथ। यह उस दृष्टिकोण में तर्क दिया जाता है कि दूर ले जाना ऐसा अधिकार जो बदलते सामाजिक परिदृश्य में उपलब्ध था, प्रतिगामी होगा जब वास्तव में बेहतर अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए था।

21. उस पृष्ठभूमि में, यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि

दिनांकित 04.03.2021 की आक्षेपित अधिसूचना जो नीचे दी गई है:

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" गृह मंत्रालय

सूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021

गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित वीडियो संख्या एस. ओ. 542 (ई), दिनांक 11 अप्रैल, 2005 और पूर्ववर्ती विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचनाएँ

5 जनवरी, 2007 के एस. ओ. 12 (ई) और 5 जनवरी, 2009 के एस. ओ. 36 (ई) के माध्यम से आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित भारतीय मामले, उन चीजों को छोड़कर जो की गई हैं या छोड़ दी गई हैं। केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारों को निर्दिष्ट करती है जिनके लिए एक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक (जिसे इसके बाद ओ. सी. आई. कार्डधारक के रूप में संदर्भित किया जाएगा) आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा, अर्थात्:

भारत की यात्रा के लिए एकाधिक प्रवेश आजीवन वीजा का अनुदान

(1)

किसी भी उद्देश्य के लिए

बशर्ते कि निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए,

ओ. सी. आई. कार्डधारक को एक विशेष कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

से, जैसा भी मामला हो, अनुमति या विशेष अनुमति

सक्षम प्राधिकारी या विदेशी क्षेत्रीय

पंजीकरण अधिकारी या संबंधित भारतीय मिशन,

अर्थात्:

अनुसंधान करने के लिए;

(i)

(

(ii) किसी भी मिशनरी या तबलीगी का कार्य करना या

पर्वतारोहण या पत्रकारिता गतिविधियाँ;

किसी भी विदेशी राजनयिक में इंटरनशिप करना

(iii)

भारत में मिशन;

किसी भी स्थान पर जाने के लिए जो संरक्षित या

(iv)

केंद्र सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रतिबंधित या निषिद्ध क्षेत्र; एक युद्ध और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

भारत में रहने की किसी भी अवधि के लिए पंजीकरण अधिकारी: बशर्ते कि ओ. सी. आई. कार्डधारक जो आम तौर पर भारत में रहते हैं, वे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले विदेशियों को सूचित करेंगे।

पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी ईमेल द्वारा जब भी स्थायी आवासीय पते और उनके व्यवसाय में कोई बदलाव होता है; के मामले में भारतीय नागरिकों के साथ समानता,

((i)

भारत में घरेलू क्षेत्रों में हवाई किराए में शुल्क;

और

((ख)

राष्ट्रीय उद्यानों में जाने के लिए प्रवेश शुल्क लिया जाएगा, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय स्मारक, ऐतिहासिक स्थल

भारत में स्थल और संग्रहालय;

के मामले में अनिवासी भारतीयों के साथ समानता,

भारतीय बच्चों को अंतर-देश गोद लेने के अधीन

((i)

द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन

इस तरह के गोद लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी;

((ii) अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होना

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उन्नत) या ऐसी अन्य परीक्षाओं के रूप में उन्हें केवल किसी भी अनिवासी भारतीय सीट या किसी अन्य सीट पर प्रवेश के लिए पात्र बनाने के लिए।

अतिरिक्त सीट;

बशर्ते कि ओ. सी. आई. कार्डधारक किसी भी आरक्षित सीट पर प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।

विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए।

((ग) कृषि भूमि या फार्म हाउस या बागान संपत्ति के अलावा अन्य अचल संपत्तियों की खरीद या बिक्री;

और

(iv) लागू होने वाले प्रासंगिक कानूनों या अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित व्यवसायों का पालन करना,

अर्थात्:

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) डॉक्टर, दंत चिकित्सक, नर्स और फार्मासिस्ट;

(ख)

अधिवक्ता:

(ग) वास्तुकार;

(घ) सनदी लेखाकार;

अन्य सभी आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों में

(5)

इस अधिसूचना या अधिकारों में निर्दिष्ट क्षेत्र नहीं हैं और

द्वारा की गई अधिसूचनाओं द्वारा कवर नहीं किए गए विशेषाधिकार

विदेशी मुद्रा के तहत भारतीय रिजर्व बैंक

प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42), ओ. सी. आई. कार्डधारक विदेशी के समान अधिकार और विशेषाधिकार होंगे।

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,

(1)

ओ. सी. आई. कार्डधारक (पी. आई. ओ. कार्डधारक सहित) है -

किसी विदेशी देश का पासपोर्ट रखने वाला विदेशी नागरिक

और भारत का नागरिक नहीं है।

" गैर-निवासी भारतीय "का वही अर्थ होगा जो

(2)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन में इसे सौंपा गया

(भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियम, 2018

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत

1999) और जो "अनिवासी भारतीय" की स्थिति को पूरा करता है
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अनुसार।

[

F.No.26011/CC/05/2018-ओसीआई]

प्रमोद कुमार,

निर्देशक "

(जोर दिया गया)

22. दिनांकित 04.03.2021 अधिसूचना का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से होगा।

इंगित करें कि ओ. सी. आई. कार्डधारकों को इसके तहत दिए गए अधिकार

वास्तव में यह उन अधिकारों का समेकन है जो दिनांकित 11.04.2005, 05.01.2007 और 05.01.2009 अधिसूचना के माध्यम से दिए गए थे। हालाँकि, अधिसूचना का विवादित हिस्सा वह हिस्सा है जिस पर जोर दिया गया है, अर्थात् खंड 4 (ii) और स्पष्टीकरण (1) के प्रावधान और समानता को केवल एनआरआई सीटों और अतिरिक्त सीटों तक सीमित करना। अधिसूचना के आक्षेपित भाग के माध्यम से, समानता जो इसके साथ मौजूद थी

शिक्षा के क्षेत्र सहित अनिवासी भारतीयों को 'अनुष्का शासन और ओआरएस' में संशोधन किया गया है।

केवल किसी भी "अनिवासी भारतीय सीट" या किसी अतिरिक्त सीट के खिलाफ प्रवेश के लिए उनकी पात्रता को इंगित करना। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि केवल अनिवासी भारतीयों के लिए आरक्षित सीटों के अलावा अनिवासी भारतीय भी भारतीय नागरिकों के साथ सीटों के आवंटन के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार हैं।

शेष सीटें भी, जो लाभ अब तक ओ. सी. आई. कार्डधारकों को एनआरआई के साथ उनकी समानता के आधार पर उपलब्ध था। हालांकि, वर्तमान में यह निर्दिष्ट करते हुए कि ओ. सी. आई. कार्डधारक केवल अनिवासी भारतीय सीट या किसी अतिरिक्त सीट के लिए पात्र होंगे, ओ. सी. आई. कार्डधारकों के लिए उपलब्ध अधिकार केवल उन सीटों के लिए है जो एन. आर. आई. कोटा सीटों के रूप में आरक्षित हैं, जिसके लिए उन्हें एन. आर. आई. के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

सीटों की सीमित संख्या के लिए उम्मीदवार, जिनके लिए उच्च शुल्क संरचना है

24. याचिकाकर्ताओं के मामले के समर्थन में, श्री पी. चिदंबरम, विद्वान वरिष्ठ वकील ने (1978) 1 एस. सी. सी. में निर्णय पर भरोसा रखा। 248 मेनका गांधी बनाम भारत संघ, यह तर्क देना कि अनुचित वर्गीकरण की अनुमति नहीं है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसे इसके तहत माना गया है;

" 7. अब, सवाल तुरंत उठता है कि अनुच्छेद 14 की आवश्यकता क्या है: इस लेख में प्रतिपादित महान बराबरी के सिद्धांत की सामग्री और पहुंच क्या है? हो सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह संविधान का एक संस्थापक विश्वास है। यह वास्तव में वह स्तंभ है जिस पर हमारे लोकतांत्रिक (2023) 5 एस. सी. आर. की नींव सुरक्षित रूप से टिकी हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गणराज्य। और, इसलिए, इसे एक संकीर्ण, पांडित्यपूर्ण या शब्दकोशात्मक दृष्टिकोण के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। इसके सर्वव्यापी दायरे और अर्थ को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना इसके सक्रिय परिमाण का उल्लंघन होगा। समानता एक गतिशील अवधारणा है। कई पहलुओं और आयामों के साथ और इसे पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर नहीं रखा जा सकता है। हमें यहां दोहराना चाहिए कि ई. पी. रोयप्पा बनाम में बहुमत ने क्या बताया था। तमिलनाडु राज्य का कहना है कि "सकारात्मक दृष्टिकोण से, समानता मनमानेपन के विरोधी है। वास्तव में समानता और मनमानेपन कट्टर दुश्मन हैं; एक गणराज्य में कानून के शासन से संबंधित है, जबकि दूसरा, एक पूर्ण सम्राट की सनक और सनक से संबंधित है। जहाँ कोई कार्य मनमाना है, वहाँ यह निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है और इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर प्रहार करता है और

निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करता है। का सिद्धांत

तर्कसंगतता, जो कानूनी रूप से और साथ ही दार्शनिक रूप से, समानता या गैर-मनमानेपन का एक आवश्यक तत्व है, अनुच्छेद 14 में एक सर्वव्यापी सर्वव्यापीता की तरह व्याप्त है और अनुच्छेद 21 द्वारा विचार की गई प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने के लिए तर्कसंगतता की कसौटी का जवाब देना चाहिए। यह "सही और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष" होना चाहिए और मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं होना चाहिए; अन्यथा, यह कोई प्रक्रिया नहीं होगी और अनुच्छेद 21 की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। "

25. नवतेज सिंह जौहर और अन्य में गैर-प्रतिगामी निर्णय के सिद्धांत से संबंधित विवाद पर। बनाम भारत संघ Thr.

कानून और न्याय मंत्रालय (2018) 10 एस. सी. सी. 1 पर भरोसा किया जाता है।

जिसमें इसे नीचे के रूप में देखा गया है:

" 199. लॉर्ड रोसकिल के शब्दों से जो पता चलता है वह यह है कि संविधान की गतिशील प्रकृति के कारण न केवल संविधान की व्याख्या को व्यावहारिक होने की आवश्यकता है, बल्कि किसी विशेष युग की कानूनी नीति भी समाज की वर्तमान और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जो समाज में विवेकपूर्ण हैं।

प्रचलित समय और साथ ही आवेदन करने में आसान।

200. यह संवैधानिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका को भी जन्म देता है। और निश्चित रूप से, जब हम राज्य कहते हैं, तो इसमें सभी तीन अंग शामिल होते हैं, अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य को करना होगा

संबंधित प्रतिबद्धता दिखाएँ जिसके परिणामस्वरूप ठोस उषा युद्ध और ओआरएस होगा।

वी. भारत संघ और

ओआरएस।

कार्रवाई। उचित उपाय करने का दायित्व राज्य का है।
अधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति के लिए।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक

201. अधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति का सिद्धांत, एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, प्रतिगामी न होने के सिद्धांत को जन्म देता है। इस सिद्धांत के अनुसार, अधिकारों का कोई प्रतिगमन नहीं होना चाहिए। एक प्रगतिशील और निरंतर सुधार करने वाले समाज में पीछे हटने की कोई जगह नहीं है। समाज को आगे बढ़ना है।

202. प्रतिगामी न होने के सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य को ऐसे उपाय या कदम नहीं उठाने चाहिए जो जानबूझकर प्रतिगामी हों।

या तो के तहत अधिकारों के आनंद पर प्रतिगामी

संविधान या अन्यथा "।
उपभोक्ता में निर्णय

26. (1995) 5 एस. सी. सी. 482 एल. आई. सी. बनाम

राशन और अनुसंधान केंद्र पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया था कि प्रत्येक

सार्वजनिक प्राधिकरण के बारे में कारणों से सूचित किया जाना चाहिए और ब्याज और सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा विवेक या शक्ति के प्रयोग द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

उस मानक द्वारा आंका जाए। निर्णय के पैरा 24 और 30 पर भरोसा किया गया

यह इस प्रकार है:

" 24. द्वारकादास मारफतिया एंड संस बनाम। बॉम्बे बंदरगाह के न्यासी मंडल [(1989) 3 एस. सी. सी. 293: (1989) 2 एस. सी. आर. 751] यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निगम को कुछ संवैधानिक विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए और क्या उन्होंने ऐसा किया है

ऐसे निगमों के आचरण से स्पष्ट हो। प्रत्येक लोक प्राधिकारी की गतिविधि को कारणों से सूचित किया जाना चाहिए और लोक हित द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा विवेक या शक्ति के सभी प्रयोगों को उस मानक द्वारा आंका जाना चाहिए। उस मामले में जब बंदरगाह न्यास के स्वामित्व वाली इमारत को किराया अधिनियम से छूट दी गई थी, जब विकास के लिए किरायेदारी को समाप्त करने पर कब्जा लेने की मांग की गई थी, तो अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी गई थी कि बंदरगाह न्यास की कार्रवाई मनमाना थी और किरायेदारी को समाप्त करने से कोई सार्वजनिक हित पूरा नहीं होगा। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि संविदात्मक संबंधों में भी न्यायालय इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि सार्वजनिक प्राधिकरण के पास संवैधानिक विवेक होना चाहिए

ताकि कोई भी व्याख्या मनमाना कार्रवाई से बचने के लिए की जानी चाहिए, ऐसा न हो कि प्राधिकरण को साम्राज्य में साम्राज्य के रूप में पनपने की अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक प्राधिकरण की गतिविधि जो भी हो, उसे अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए और न्यायिक समीक्षा मनमाना हो जाती है कार्रवाई।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. अपीलार्थियों का तर्क है कि उल्लंघनकारी खंड है -

एक वैध वर्गीकरण। जीवन का वेतनभोगी समूह

सरकार, अर्ध-सरकार या प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संस्थान एक वर्ग बनाते हैं। स्वास्थ्य स्थितियों की पहचान करने के लिए, नीति उस वर्ग के जीवन पर लागू की गई थी। कोई मैडमस नहीं होगा वर्गीकरण को असंवैधानिक घोषित करने के लिए जारी किया गया है जब यह उद्देश्य के साथ उचित संबंध रखता है और वेतनभोगी जीवन और बाकी के बीच समझदारी से अंतर है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उल्लंघनकारी खंड को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला मनमाना खंड घोषित करके गलत किया। यह सच है कि अपीलार्थी किसी विशेष समूह या जीवन के वर्ग के लिए लागू पॉलिसी जारी करने का हकदार है, जो अपीलार्थी के साथ बीमा अनुबंध का लाभ उठाने का हकदार है, लेकिन एक वर्ग या समूह के साथ।

समानता का सिद्धांत, के सिद्धांत पर अधिक जोर वर्गीकरण या वर्गीकरण के लिए कुछ आधार खोजने का चिंतित या निरंतर प्रयास धीरे-धीरे और अदृश्य रूप से समानता की गौरवशाली सामग्री की गहरी शक्ति को नष्ट कर सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 14। वर्गीकरण पर अत्यधिक जोर देने से अनिवार्य रूप से वर्गीकरण के सिद्धांत को समानता के सिद्धांत और संविधान की प्रस्तावना के स्थान पर रखा जाएगा जो संविधान का एक अभिन्न अंग और योजना है। मेनका गांधी [मेनका गांधी बनाम। भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248] अनुपात ने इसे इस मृतप्राय स्थिति से बाहर निकाला और इसकी लोच को समतावादी मार्ग खोजने वाले के लिए रखा ताकि वर्गीकरण समाज के बड़े वर्गों को समानता से वंचित कर दे। के आधार पर वर्गीकरण

सरकारी, अर्ध-सरकारी और प्रतिष्ठित में रोजगार

वाणिज्यिक फर्मों का कपटी और अपरिहार्य प्रभाव है अनुच्छेद का उल्लंघन करने वाले जीवन बीमा के लिए असंगठित या स्व-नियोजित क्षेत्रों में लगे विशाल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन को छोड़कर

14 संविधान और सामाजिक-आर्थिक न्याय "।

27. श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क देते हुए कहा कि जो अधिकार अर्जित हुआ था उसे छीन नहीं लिया जा सकता है और 'चीजें'

या इस तरह के अधिनिर्णय को रखने से पहले 'करने के लिए छोड़ दिया गया' (1961) 1 एस. सी. आर. 305 सार्वभौमिक आयात में निर्णय पर निर्भर है।

सी. आई. एंड एन्स. बनाम आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक और

जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है:

उषा रेन्गुन्थवार और ओआरएस। वी. भारत संघ और

ओआरएस।

" 16. पांडिचेरी कानून के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा क्या "काम" किए गए थे? याचिकाकर्ताओं ने अपने आयात व्यापार के दौरान, अपने बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद, सी. आई. एफ. शर्तों पर विदेशी विक्रेताओं के साथ दृढ़ अनुबंध किए। कुछ मामलों में अपरिवर्तनीय ऋण पत्र खोले गए और कुछ मामलों में अनुबंधों के लिए बैंक ड्राफ्ट भेजे गए। अनुबंधों की शर्तों के तहत विक्रेताओं को विभिन्न विदेशी बंदरगाहों से माल भेजना पड़ता था और खरीदारों को भारत में सीमा शुल्क बाधा को पार करने के बाद माल की भौतिक डिलीवरी करनी होती थी। अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, विक्रेताओं ने विभिन्न जहाजों पर माल रखा, कुछ विलय से पहले और अन्य विलय के बाद, और माल भारत के साथ विलय के बाद पांडिचेरी बंदरगाह पर पहुंचा। विदेशी विक्रेताओं को माल की कीमतों का पूरा भुगतान किया जाता था और खरीदारों द्वारा आगमन पर उनकी जांच करने के बाद माल की डिलीवरी की जाती थी। विलय से पहले यदि सीमा शुल्क अधिकारियों ने कानून द्वारा अधिकृत कोई प्रतिबंध नहीं लगाया होता, तो प्रभावित पक्ष अदालत में माल के मुक्त प्रवेश को लागू कर सकते थे। उक्त तथ्यों पर एक छोटा सा सवाल उठता है कि क्या आदेश का पैरा 6 सुरक्षा प्रदान करता है। याचिकाकर्ताओं। जबकि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि "किए गए कार्य" न केवल किए गए कार्यों को बल्कि उनके कानूनी परिणामों को भी प्रभावित करते हैं, राज्य के विद्वान वकील का तर्क है कि

विलय से पहले माल भारत में नहीं लाया गया था, यह विलय से पहले किया गया काम नहीं था और इसलिए, अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस मामले में यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या आयात की अवधारणा न केवल

भारत में वस्तुओं को तथ्यात्मक रूप से लाने के साथ-साथ आवेदन की तारीख से शुरू होने वाली आयात की पूरी प्रक्रिया को भी शामिल करता है

आयात की अनुमति के लिए और भारत में सीमा शुल्क बाधा को पार करने के साथ समाप्त होने के लिए। पैरा 6 में "किए गए कार्य" शब्द होने चाहिए

उचित रूप से व्याख्या की गई और, यदि इस तरह से व्याख्या की गई है, तो उनका अर्थ न केवल किए गए कार्य हो सकते हैं, बल्कि उनसे होने वाले कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। यदि विद्वान वकील द्वारा सुझाई गई व्याख्या

उत्तरदाताओं को स्वीकार किया जाएगा, बचत खंड बन जाएगा

अनावश्यक है। यदि यह केवल निष्पादित अनुबंधों यानी उन अनुबंधों को बचाता है जिनके तहत माल का आयात किया गया है और विलय से पहले खरीदार द्वारा प्राप्त किया गया है, तो आगे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आम तौर पर अनुबंधों को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है।

पूर्व-विद्यमान कानून के तहत उत्पन्न होगा। प्रयुक्त वाक्यांश [2023] 5 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक नवाचार नहीं है, लेकिन अन्य वैधानिक खंडों से प्रतिलिपि बनाई गई है। सामान्य खंड अधिनियम (1897 का 10) की धारा 6 में कहा गया है कि जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक किसी अधिनियम का निरसन उसके तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करेगा। इसी तरह, 1858 का सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम (38 और 39 विक्ट। सी। 55) जिसने 1848 के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम को निरस्त कर दिया, उसमें धारा 343 का एक प्रावधान था कि निरसन "इसके द्वारा निरस्त किए गए अधिनियम के तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं करेगा", यह प्रावधान क्वीन V में न्यायिक जांच के दायरे में आया। यॉर्कशायर के वेस्ट राइडिंग के न्यायाधीश [(1876) 1 क्यू. बी. डी. 220]। एक स्थानीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1848 और संशोधन अधिनियमों के तहत दर बनाने की सूचना दी गई थी। नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले इन अधिनियमों को सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1875 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसमें इसके तहत "विधिवत किए गए किसी भी कार्य" की बचत शामिल थी। अधिनियमों को निरस्त कर दिया, और समान सूचना देने पर समान दर बनाने की शक्ति दी। बोर्ड ने निरस्तीकरण के बारे में अनभिज्ञता में, निरसित अधिनियमों के तहत दर निर्धारित की। यह था।

उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि दर निरस्तीकरण अधिनियम के बाद दी गई थी, इसलिए निरस्तीकरण अधिनियम के तहत दिया गया नोटिस वैध नहीं था। विद्वान। न्यायाधीशों ने कहा कि चूंकि अधिनियम से पहले नोटिस दिया गया था, इसलिए दर बनाने को निरस्त अधिनियमों के तहत "कुछ भी विधिवत किया गया" शब्दों से भी बचाया गया था। यह मामला इस बात को स्पष्ट करता है कि यह आवश्यक नहीं है कि एक विवादित चीज़ अपने आप में होनी चाहिए

यह अधिनियम के निरस्त होने से पहले किया गया था, लेकिन यह पर्याप्त होगा यदि यह एकीकृत रूप से संबंधित था और उक्त निरसन से पहले किए गए कार्य का कानूनी परिणाम था। इसी तरह की परिस्थितियों में लिंडले, एल. जे., हेस्टन और आइलवर्थ अर्बन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में

वी. ग्राउट [(1897) 2 Ch306] ने निरसन से पहले जारी एक सूचना के अनुसार की गई दर की वैधता की पुष्टि की। बचत खंड की ओर इशारा करते हुए, विद्वान न्यायाधीश इस सिद्धांत को इस प्रकार पी में संक्षिप्त रूप से बताते हैं। 313 : " यह मेरे विचार से उस सूचना और उसके प्रभाव को संरक्षित करता है। उस सिद्धांत पर अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जो दर नोटिस का प्रभाव थी वह अच्छी थी।

28. विद्वान वरिष्ठ वकील, आगे वैध के सिद्धांत पर

ctation, (1992) 4 SCC 477 नवज्योति में निर्णय पर निर्भर था

समूह आवास सोसायटी और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य।

इसे नीचे इस प्रकार देखा गया है:

उषा रेन्गुन्थवार और ओआरएस। वी. भारत संघ और

ओआरएस।

उनके दृष्टिकोण पर विचार करना। यहां तक कि यह मानते हुए भी कि नज़ुल नियमों के नियम 6 (vi) में "पहले आओ पहले पाओ" अभिव्यक्ति के किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी पंजीकरण की तारीख के संदर्भ में आवंटन करना, वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि 20 जनवरी, 1990 के ज्ञापन में निहित नए दिशानिर्देश से पहले -

आवंटन का सिद्धांत हमेशा पंजीकरण की तारीख के आधार पर होता था न कि सदस्यों की सूची के अनुमोदन की तारीख के आधार पर। राजपत्र के बाद भी डी. डी. ए. द्वारा 1982 में जारी किए गए विवरणिका में

26 सितंबर, 1981 को नज़ुल नियमों की अधिसूचना में पंजीकरण में वरिष्ठता के आधार पर आवंटन की नीति स्पष्ट रूप से थी

इंगित किया। उपरोक्त तथ्यों में, समूह आवास समितियां आवंटन के मामले में लगातार पिछले अभ्यास का पालन करने की 'वैध अपेक्षा' करने की हकदार थीं, भले ही उन्हें इस तरह का उपचार प्राप्त करने के लिए निजी कानून में कोई कानूनी अधिकार न हो। द.

'वैध अपेक्षा' के अस्तित्व के कई अलग-अलग परिणाम हो सकते हैं और ऐसे परिणामों में से एक यह है कि प्राधिकरण को अपने ऐसा करने को सही ठहराने के लिए सार्वजनिक नीति के किसी प्रबल कारण के बिना 'वैध अपेक्षा' को हराने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। 'वैध अपेक्षा' के मामले में यदि प्राधिकरण किसी व्यक्ति की 'वैध अपेक्षा' को विफल करने का प्रस्ताव करता है तो उसे मामले में अभ्यावेदन करने का अवसर देना चाहिए। इस संबंध में हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड, चौथी संस्करण के खंड 1 (1) के पृष्ठ 151 पर 'वैध अपेक्षा' पर चर्चा का संदर्भ दिया जा सकता है। (पुनः जारी करना)। हम सिविल सेवा संघों की परिषद V में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं। सिविल सेवा मंत्री [(1984) 3 सभी ईआर 935]। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पीड़ित व्यक्ति का अधिकार था

न्यायिक समीक्षा के लिए यदि वह यह दिखा सकता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण के किसी निर्णय ने उसे कुछ लाभ या लाभ से प्रभावित किया है जो अतीत में उसे प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी और जिसे वह वैध रूप से तब तक प्राप्त करने की अनुमति देने की उम्मीद करता था जब तक कि उसे वापस लेने का कारण और ऐसे कारणों पर टिप्पणी करने का अवसर नहीं दिया जाता।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. यहाँ यह संकेत दिया जा सकता है कि 'वैध अपेक्षा' का सिद्धांत संक्षेप में सार्वजनिक प्राधिकरण पर इस तरह की 'वैध अपेक्षा' से संबंधित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य लागू करता है। 'वैध अपेक्षा' के मामले में निष्पक्ष लेन-देन के परिप्रेक्ष्य में, पक्षों द्वारा प्रतिनिधित्व करने के उचित अवसर सुसंगत पिछली नीति के किसी भी परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है। केंद्र सरकार द्वारा पंजीकरण में वरिष्ठता के संदर्भ में आवंटन की मौजूदा नीति से हटने के लिए हमें कोई ठोस कारण नहीं दिखाया गया है।

एक नया दिशानिर्देश प्रस्तुत करना। इसके विपरीत, विद्वान वकील श्री जेटली ने कहा है कि डी. डी. ए. और/या केंद्र सरकार का उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का कोई इरादा नहीं है और 20 जनवरी, 1990 के विवादित ज्ञापन को वापस ले लिया गया है। इसलिए हम महसूस करते हैं कि मामले के तथ्यों में यह केवल वांछनीय था कि किसी भी परिवर्तन को लागू करने या लागू करने से पहले आवंटन के लिए दिशानिर्देश में, एक अवसर बनाने के लिए

दिशानिर्देश में प्रस्तावित परिवर्तन के खिलाफ अभ्यावेदन, यदि आवश्यक हो, तो सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पंजीकृत समूह आवास समितियों को दिया जाना चाहिए था।

29. याचिकाकर्ताओं की ओर से डॉक्ट्रिन ट्रे वायर्स की व्याख्या करने के निर्णय पर (2007) 13 एस. सी. सी. 673 जे. के. इंडस्ट्री लिमिटेड ऑफ इंडिया में भी भरोसा किया गया था, जिसमें इसे इस प्रकार माना गया है:

" 127. शुरुआत में, हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण और सामाजिक-आर्थिक समस्याओं (हमारी अर्थव्यवस्था में आय असमानताओं सहित) के कारण प्रत्यायोजन की शक्ति समग्र रूप से विधायी शक्ति का एक घटक तत्व बन गई है। हालांकि, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड में कहा गया है। भारत संघ, एस. सी. सी. पी. 689 , अधीनस्थ विधान में उतनी प्रतिरक्षा नहीं होती है जितनी एक सक्षम विधायिका द्वारा पारित कानून द्वारा प्राप्त की जाती है। अधीनस्थ विधान पर किसी भी आधार पर सवाल उठाया जा सकता है जिस पर पूर्ण विधान पर सवाल उठाया जाता है। इसके अलावा, इस आधार पर भी सवाल किया जा सकता है कि यह उस कानून के अनुरूप नहीं है जिसके तहत इसे बनाया गया है। इस आधार पर आगे सवाल उठाया जा सकता है कि यह इसके साथ असंगत है

अधिनियम के प्रावधान या यह कि यह उसी विषय-वस्तु पर लागू किसी अन्य कानून के विपरीत है। इसलिए, इसे पूर्ण कानून के आगे झुकना होगा। इस आधार पर भी सवाल उठाया जा सकता है कि उषा युद्ध और ओआरएस।

वी. भारत संघ और

ओआरएस।

यह स्पष्ट रूप से मनमाना और अन्यायपूर्ण है। कि, इसकी शक्तियों की कोई भी जांच उन आधारों तक सीमित होनी चाहिए जिन पर पूर्ण विधान हो सकता है। इस आधार पर पूछताछ की जाए कि यह उस कानून के विपरीत है जिसके तहत इसे बनाया गया है, इस आधार पर कि यह अन्य कानूनों के विपरीत है।

वैधानिक प्रावधान या इस आधार पर कि यह इतना स्पष्ट रूप से मनमाना है कि इसे कानून के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। इसे इस आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

तर्कसंगतता के प्रश्न को कानून द्वारा किसी विशेष विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए निवेश में नहीं डाला जा सकता है। में बाद के मामले में, प्रश्न पर उन सभी आधारों पर विचार किया जा सकता है जिन पर प्रशासनिक कार्यवाई पर सवाल उठाया जा सकता है, जैसे -

मन का अनुप्रयोग, अप्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखते हुए,

प्रासंगिक मामलों आदि को ध्यान में रखने में विफलता। ए.

अधीनस्थ विधान को मनमाना या कानून के विपरीत के रूप में निरस्त किया जा सकता है यदि यह महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखने में विफल रहता है जिन्हें कानून या संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। यह इस आधार पर किया जा सकता है कि अधीनस्थ विधान वैधानिक के अनुरूप नहीं है।

या संवैधानिक आवश्यकताएं या यह कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि, कानून की एक धारा के तहत जारी एक अधिसूचना जिसके लिए इसे रखने की आवश्यकता होती है संसद के समक्ष इसकी वैधता पर निर्णय देने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आता है।

30. सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ने उपरोक्त संदर्भित निर्णयों में अंतर करने के लिए तर्क दिया कि

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा संदर्भित सभी मुद्दे उन मुद्दों के संदर्भ में हैं जो राज्य/प्राधिकरणों के खिलाफ नागरिकों से संबंधित मामलों में या जब भारत के नागरिकों के बीच उपहास के लिए विवाद उत्पन्न हुआ था। उस दृष्टिकोण से, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। धारा 14 के तहत किसी भी अधिकार का दावा करने के लिए भी, यह संविधान के अनुच्छेद 19 से उभरेगा और विदेशियों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. इसके अलावा, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, को यह सुनिश्चित करना कि लोक हित में किसी नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, (1998) 4 एस. सी. सी. 117 पंजाब राज्य और अन्य में निर्णय। राम लुभाया बग्गा और अन्य। :

" 25. अब हम अंतिम निवेदन पर लौटते हैं, चाहे नया राज्य हो।

एक कर्मचारी को उसकी पूरी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति नहीं करने में नीति उचित है।

ऐसे उपचार पर होने वाला खर्च, यदि किसी अस्पताल में किया जाता है

भारत पंजाब में सरकारी अस्पताल नहीं है। सवाल यह है कि क्या नई नीति जो वित्तीय द्वारा प्रतिबंधित है

एम्स में दरों के लिए राज्य की बाधाओं का उल्लंघन होगा

आम तौर पर किसी भी न्यायालय के क्षेत्र के भीतर, पक्ष और पक्ष को तौलने के लिए नीति के विपक्ष या इसकी जांच करने और इसकी डिग्री का परीक्षण करने के लिए

परिवर्तन के उद्देश्य से लाभकारी या न्यायसंगत स्वभाव,

इसे संशोधित या रद्द करना, चाहे वह कितना भी अच्छा और अच्छा लगे तर्क, सिवाय इसके कि जहां यह मनमाना या किसी का उल्लंघन करने वाला हो

सरकार अपनी नीति बनाती है, यह कई बातों पर आधारित है - तथ्यों पर परिस्थितियाँ, इसके आधार पर बाधाओं सहित कानून

संसाधन। यह विशेषज्ञ की राय पर भी आधारित है। यह खतरनाक होगा यदि अदालत को नीति की उपयोगिता, लाभप्रद प्रभाव का परीक्षण करने के लिए कहा जाता है या इसका मूल्यांकन शपथपत्रों पर निर्धारित तथ्यों के आधार पर किया जाता है। अदालत ने कहा कि

इस क्षेत्र में प्रवेश करने से खुद को रोकें जो संबंधित है कार्यकारी। यह इस मैट्रिक्स के भीतर है कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या नई नीति अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है जब यह प्रतिपूर्ति को प्रतिबंधित करती है।

इसकी वित्तीय बाधाओं का लेखा-जोखा।

32. उचित वर्गीकरण परीक्षण से संबंधित विवाद पर

अधिकार न रखने वाले विदेशी, निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भर हैं

उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के बारे में सीखा। वे हैं;

(i) ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1052 इजहार अहमद खान और अन्य। बनाम संघ

भारत से।

”

38. विचार करने के लिए अगला बिंदु धारा 9 (2) की वैधता के बारे में है। यह तर्क दिया जाता है कि यह नियम अधिकार से बाहर है क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं को प्रदान की गई नागरिकता की स्थिति को प्रभावित करता है

और संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों द्वारा मान्यता प्राप्त है, और यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को ए-रेनुथवार एंड ओआरएस के दर्जे से वंचित किया जाए।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

नागरिकता, आम तौर पर अनुच्छेद 19 के तहत उनके मौलिक अधिकार और विशेष रूप से अनुच्छेद 19 (1) (ई) द्वारा गारंटीकृत अधिकार प्रभावित होते हैं। इस तर्क की सराहना करना आसान नहीं है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, नागरिकता से संबंधित भाग 2 के प्रासंगिक अनुच्छेदों की योजना यह स्पष्ट रूप से बताता है कि संसद द्वारा अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए कानून से नागरिकता की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रथम दृष्टया कुछ आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन फिर भी यह सच है कि हालांकि भारत के नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 में निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों की गारंटी है, नागरिकता की स्थिति जिस पर संविधान का अस्तित्व या निरंतरता है।

कहा गया है कि अधिकार अपने आप में किसी के लिए गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है। यदि देश में किसी भी नागरिक की नागरिकता की स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई कानून संसद द्वारा ठीक से पारित किया जाता है, तो यह उक्त कानून की वैधता के लिए कोई चुनौती नहीं हो सकती है कि यह उन लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है जिनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 19 इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि जो व्यक्ति इसके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का दावा करता है वह भारत का नागरिक है। यदि नागरिकता की मूल स्थिति को संसदीय कानून द्वारा वैध रूप से समाप्त कर दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, उसे अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, हमारी राय में, धारा 9 (2) को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह याचिकाकर्ताओं के नागरिकता अधिकारों को वंचित करने के लिए नियम बनाने के अधिकार को सक्षम बनाता है।

35. इस अपील के साथ भाग लेने से पहले एक और बिंदु है जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए। श्री चौधरी ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि यदि मेन्स रिया को एक आवश्यक तत्व के रूप में नहीं माना जाता है धारा 52-ए की उक्त धारा अनुच्छेद 14, 19 और 31 (1) के अधिकार के बाहर होगी और इस प्रकार, असंवैधानिक और अमान्य होगी।

हम इस तर्क के गुण-दोषों पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, क्योंकि अपीलकर्ता न केवल एक कंपनी है, बल्कि एक विदेशी कंपनी भी है, और इस तरह, दावा करने का हकदार नहीं है अनुच्छेद 19 के लाभ। यह केवल भारत के नागरिक हैं जिनके पास [2023] 5 एस. सी. आर. हैं।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

उक्त में निहित स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई थी

लेख। यदि ऐसा है, तो अनुच्छेद 31 (1) के साथ-साथ अनुच्छेद 14 के तहत याचिका को सरल कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है।

कि उक्त दो दलीलों का समर्थन करते हुए, अनिवार्य रूप से अपीलार्थी द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार से पीछे हटना होगा

अनुच्छेद 19 (1) (च)। पूरा तर्क यह है कि अपीलार्थी संबंधित के संचालन द्वारा अपनी संपत्ति से वंचित है।

कानून के अधिकार से बचाकर उसकी संपत्ति का। जैसे ही यह याचिका उठाई जाती है, यह स्पष्ट उत्तर मिलता है कि अपीलार्थी को अधिनियम के प्रावधानों के अधिकार से उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया गया है और यह अनुच्छेद 31 (1) के तहत याचिका का अंत होगा जब तक कि अपीलार्थी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने के लिए आगे का कदम उठाने में सक्षम न हो, और यह आवश्यक रूप से अनुच्छेद 19 (1) (एफ) का आयात करता है। इसी तरह, जब अनुच्छेद 14 के तहत कोई याचिका उठाई जाती है, तो हम उसी स्थिति का सामना करते हैं। यह हो सकता है कि यदि धारा 52-ए अनुच्छेद 19 (1) (एफ) का उल्लंघन करती है, तो भारत का कोई नागरिक यह तर्क दे सकता है कि उसका पोत ज़ब्त किया जाता है, भले ही उसने धारा 52-ए का उल्लंघन किया हो, और उस अर्थ में, नागरिक और विदेशी के बीच असमानता होगी, लेकिन यह असमानता इस मूल तथ्य का आवश्यक परिणाम है कि अनुच्छेद 19 इन तक ही सीमित है -

भारत के नागरिक, और इसलिए, यह दलील कि अनुच्छेद 14 है

यदि इसे सफल बनाना है तो उल्लंघन करने वाले को अनुच्छेद 19 को भी अपनाना होगा। साफ सच्चाई यह है कि अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को गारंटी दिए गए कुछ अधिकार विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं और अनुच्छेद 19 के तहत गारंटी दिए गए उक्त अधिकारों के बल पर नागरिकों द्वारा सफलतापूर्वक उठाए जाने वाले अनुरोध इसलिए विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसा होने पर, हम इस तर्क में कोई सार नहीं देखते हैं कि यदि अपीलार्थी के खिलाफ धारा 52 ए का अर्थ लगाया जाता है, तो यह अमान्य होगा, और इसलिए, अपीलार्थी की जब्ती का विरोध करने में सक्षम होगा।

अनुच्छेद 31 (1) के तहत इसका पोत। हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम धारा की वैधता पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

52 - ए अनुच्छेद 19 (1) (एफ) के तहत। यदि किसी भी मामले में हमारे निर्णय के लिए उक्त प्रश्न उत्पन्न होता है, तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या धारा 52-ए के प्रावधान अनुच्छेद 19 (5) द्वारा उचित नहीं हैं। यह एक ऐसा मामला है जो वर्तमान अपील में जांच के लिए विदेशी है।

एक युद्ध और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

(1994) पूरक 1 एस. सी. सी. 615 ए. पी. राज्य बनाम खुदीराम

चक्रमा

" 75. यह सच है कि मौलिक अधिकार एक विदेशी के लिए उपलब्ध है जैसा कि लुई डी रायड बनाम में आयोजित किया गया है। भारत संघ [(1991) 3 एस. सी. सी. 554: 1991 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 886]: (एस. सी. सी. पी. 562, पैरा 13)

इस देश का संविधान भी उनके लिए ज्यादा मददगार नहीं है। विदेशी का मौलिक अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 21 तक सीमित है और इसमें इस देश में रहने और बसने का अधिकार शामिल नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 19 (1) (ई) में उल्लेख किया गया है, जो केवल इस देश के नागरिकों पर लागू होता है। के रूप में ऐसे अनुच्छेद 19 (1) (डी) और (ई) विदेशियों के लिए अनुपलब्ध हैं क्योंकि वे अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं।

निश्चित रूप से, अनुच्छेद 14 के तंत्र को लागू नहीं किया जा सकता है

उस मौलिक अधिकार को प्राप्त करें। अनुच्छेद 19 (1) (डी) और (ई) के तहत अधिकारों को विदेशियों के लिए स्पष्ट रूप से रोक दिया गया है।

ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 367 न्यूरेनबर्ग बनाम के हंस मुलर। अधीक्षक, प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता और अन्य।

इस तरह की शक्ति का प्रभावी प्रयोग धारा 11 (1) द्वारा केंद्र सरकार को भी प्रदान किया गया है। इसलिए, निष्कासन के अधिकार में कई सहायक अधिकार निहित हैं, जिनमें आदेश के किसी भी उल्लंघन को रोकने का अधिकार शामिल है। और बल प्रयोग करने और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रभावी उपाय करने का अधिकार। अब आदेश के उल्लंघन को रोकने और यह सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि निष्कासन के लिए उचित व्यवस्था किए जाने तक निष्कासित किए जाने का आदेश दिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाए। इसलिए, निष्कासन की व्यवस्था करने के अधिकार में व्यवस्था करने का अधिकार [2023] 5 एस. सी. आर. शामिल है।

जेपीआईएमई अदालत की रिपोर्ट

किसी भी चोरी या आदेश के उल्लंघन को रोकने के लिए, और निवारक निरोध अधिनियम का उपयोग करने की शक्ति प्रदान करता है

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों में से एक के रूप में निवारक निरोध का साधन। किसी मामले में यह कदम उठाना कितना आवश्यक है, यह एक ऐसा मामला है जिसे संबंधित सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ इस देश और विदेश में किए गए अपराधों के लिए आपराधिक आरोप लगाए जाते हैं।

यह आशंका कि उसके गायब होने और निष्कासन के आदेश से बचने की संभावना है, को निराधार या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में नजरबंदी को उचित रूप से निवारक कहा जाता है और यह प्रतिबंध के दायरे में आता है।

निवारक निरोध अधिनियम और यह अधिनियम के उद्देश्य से यथोचित रूप से संबंधित है।

35. विदेशी अधिनियम भारत से विदेशियों को निष्कासित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह केंद्र सरकार को पूर्ण और निरंकुश विवेक प्रदान करता है क्योंकि इसमें कोई प्रावधान नहीं है।

संविधान में इस विवेक को बाधित करते हुए, निष्कासित करने का एक अप्रतिबंधित अधिकार बना हुआ है।

प्रत्यर्पण अधिनियम के प्रावधानों द्वारा। दोनों अलग-अलग हैं और न ही एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। भले ही एक माँग और प्रत्यर्पण के लिए एक अच्छा मामला, सरकार है

अनुरोध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं। इसे मना करने का निरंकुश अधिकार दिया गया है। प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 3 (1) में कहा गया है कि "केंद्र सरकार, यदि वह उचित समझती है"। इसलिए, यदि वह अनुरोध का पालन नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ अनुरोध किया गया है, वह इस बात पर जोर नहीं दे सकता है कि

होना चाहिए। अधिकार उसका नहीं है; और यह तथ्य कि एक अनुरोध किया गया है, विदेशी अधिनियम की कम कठोर प्रक्रिया का चयन करने के लिए सरकार के विवेक को बाधित नहीं करता है जब एक विदेशी का संबंध है, हमेशा प्रदान किया जाता है, कि उस स्थिति में संबंधित व्यक्ति भारत को एक स्वतंत्र व्यक्ति छोड़ देता है। यदि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया था, तो स्थिति

अलग होता लेकिन जैसा कि सरकार को चुनने का अधिकार दिया गया है, सद्भावना की कमी का कोई सवाल केवल इसलिए पैदा नहीं हो सकता है क्योंकि वह पसंद के अधिकार का प्रयोग करती है जो कि ए रेन्नुथवार एंड ओआरएस है।

बी. भारत और ओआरएस का संघ।

कानून प्रदान करता है। सद्भावना पर हमले की यह रेखा सरकार जमीन पर गिर जाती है। "

1 यह तर्क देने के लिए कि किया गया वर्गीकरण वैध है, स्थायी सॉलिसिटर जनरल ने निर्णय का उल्लेख किया है;

ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 75 राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम। अनवर अली सरकार यहाँ नीचे के रूप में:

" 63. इस तर्क को समझने के लिए, यह आवश्यक है

संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे को जल्द ही बताना। यह किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को भेदभावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण कानून के लिए एक विशेष विषय के रूप में अलग किए जाने से रोकने के लिए बनाया गया है। लोकतंत्र का अर्थ है सम्मान

मनुष्य के प्राथमिक अधिकार, चाहे वे संदिग्ध हों या अयोग्य। अधिकार की समानता गणतंत्रवाद और अनुच्छेद का एक सिद्धांत है।

14 न्याय के प्रशासन में इस समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। कानूनी कार्यवाही के लिए अपने आवेदन में अनुच्छेद सभी को साक्ष्य के समान नियमों और तरीकों का आश्वासन देता है।

प्रक्रिया। दूसरे शब्दों में, समान परिस्थितियों में सभी के लिए एक ही नियम होना चाहिए। हालाँकि, यह सिद्धांत करता है

इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक कानून का उन सभी व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग होना चाहिए जो स्वभाव, प्राप्ति या योग्यता से परे हैं।

परिस्थिति, उसी स्थिति में।

64. वर्गीकरण की प्रक्रिया द्वारा राज्य के पास यह निर्धारित करने की शक्ति है कि किसे एक वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए।

विशेष विषय। यह शक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है, कुछ हद तक कुछ असमानता पैदा करने की संभावना है; लेकिन अगर कोई कानून संबंधित है कई सुव्यवस्थित वर्गों की स्वतंत्रताओं के लिए, यह इस आधार पर समान संरक्षण से इनकार करने के आरोप के लिए खुला नहीं है कि इसका अन्य व्यक्तियों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। हालाँकि, अनुमेय वर्गीकरण कुछ वास्तविक और पर्याप्त अंतर पर आधारित होना चाहिए जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ एक न्यायसंगत और उचित संबंध रखता है और इसे मनमाने ढंग से और बिना किसी ठोस आधार के नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वर्गीकरण का अर्थ उन वर्गों में पृथक्करण है जिनका एक व्यवस्थित संबंध है, जो आमतौर पर सामान्य गुणों में पाए जाते हैं और

विशेषताएँ। यह एक तर्कसंगत आधार मानता है और इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ व्यक्तियों और वर्गों को एक साथ जोड़ा जाए।

मनमाने ढंग से। इस प्रकार विधायिका वह आयु तय कर सकती है जिस पर [2023] 5 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

व्यक्तियों को अपने बीच अनुबंध करने के लिए सक्षम माना जाएगा, लेकिन कोई भी इस योग्यता का दावा नहीं करेगा - अनुबंध बालों के कद या रंग पर निर्भर करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के उद्देश्य के लिए इस तरह का वर्गीकरण मनमाना और विधायी निरंकुशता का एक हिस्सा होगा।

(1955) 1 एस. सी. आर. 1045 बुधन चौधरी बनाम बिहार राज्य

" 5. संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान इस न्यायालय के समक्ष कई मामलों में चर्चा के लिए सामने आए हैं, जिनके नाम हैं, चिरनजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ

[(1950) 1 एस. सी. आर. 869], बॉम्बे राज्य बनाम। एफ. एन. बलसारा [(1951) 2 एस. सी. आर. 682], पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। अनवर अली सरकार [(1952) 3 एस. सी. आर. 284], काठी रानींग रावत बनाम। सौराष्ट्र राज्य [(1952) 3 एस. सी. आर. 435], लच्छमंडस

केवलराम आहूजा बनाम। बॉम्बे राज्य [(1952) 3 एससीआर 710] और कासिम रजवी बनाम। हैदराबाद राज्य [ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 156 (1953) 4 एस. सी. आर. 581] और हबीब मोहम्मद बनाम। हैदराबाद राज्य [(1953) 4 एससीआर 661]। इसलिए, विचाराधीन लेख के अर्थ, दायरे और प्रभाव के बारे में किसी भी लंबी चर्चा में प्रवेश करना आवश्यक नहीं है। यह है।

अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि जबकि अनुच्छेद 14 वर्ग कानून को मना करता है, यह कानून के उद्देश्यों के लिए उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है। तथापि, अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए -

विचाराधीन कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए। वर्गीकरण को विभिन्न आधारों पर आधारित किया जा सकता है। अर्थात्, भौगोलिक, या वस्तुओं या व्यवसायों या इसी तरह के अनुसार। आवश्यक यह है कि वर्गीकरण के आधार और उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए।

विचाराधीन अधिनियम। यह इस न्यायालय के फैसलों से भी अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुच्छेद 14 इसकी निंदा करता है।

भेदभाव न केवल एक मूल कानून द्वारा बल्कि प्रक्रिया के कानून द्वारा भी किया जाता है। अपीलार्थियों के मुकदमे की अयोग्यता के बारे में अब सामने रखे गए तर्क का परीक्षण इस न्यायालय के निर्णयों में इस प्रकार निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में किया जाना चाहिए।

अनुष्ठा रेन्नुन्थवार और ओआरएस। वी. भारत संघ और

ओआरएस।

(iii)

(1976) 2 एस. सी. सी. 310 केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस " 31. समानता का नियम समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ समान व्यवहार है। विभेदन का नियम अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग व्यक्तियों या चीजों के बीच अंतर करने वाले कानूनों को लागू करना है। जो परिस्थितियाँ व्यक्तियों या वस्तुओं के एक समूह को नियंत्रित करती हैं, वे आवश्यक रूप से व्यक्तियों या वस्तुओं के दूसरे समूह को नियंत्रित करने वाली परिस्थितियों के समान नहीं हो सकती हैं ताकि असमान व्यवहार का सवाल वास्तव में विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों के विभिन्न समूहों द्वारा शासित व्यक्तियों के बीच उत्पन्न न हो। समानता का सिद्धांत

इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक कानून का उन सभी व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग होना चाहिए जो स्वभाव, प्राप्ति या योग्यता से परे हैं। एक ही स्थिति में परिस्थितियों और विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की अलग-अलग जरूरतों के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है।

समानता के नियम का स्वाभाविक और तार्किक परिणाम, लेकिन भेदभाव का नियम समानता की अवधारणा में निहित है। समानता का अर्थ है समानता के तहत उपचार की समानता शर्तें। समानता का अर्थ पूर्ण समानता नहीं है। संवैधानिक होने के लिए एक वर्गीकरण को उन भेदों पर आधारित होना चाहिए जो पर्याप्त हैं और केवल भ्रामक नहीं हैं। परीक्षण यह है कि क्या इसका कृत्रिमता और मनमानेपन से मुक्त एक उचित आधार है जो सभी को गले लगाता है और किसी को भी स्वाभाविक रूप से नहीं छोड़ता है।

उस श्रेणी में आता है "।

34. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने (2001) 2 एस. सी. सी. 259 के. थिम्मप्पा बनाम अध्यक्ष, केंद्रीय निदेशक मंडल के निर्णय का भी उल्लेख किया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि जब किसी कानून को चुनौती दी जाती है

अनिवार्य रूप से इस आधार पर भेदभावपूर्ण है कि यह समान व्यवहार या संरक्षण से इनकार करता है, न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए सवाल यह नहीं है कि क्या यह

इसके परिणामस्वरूप असमानता हुई है लेकिन क्या कोई अंतर है जो विधान के उद्देश्य के साथ न्यायसंगत और उचित संबंध रखता है। केवल भेदभाव अपने आप में समान संरक्षण खंड के निषेध के भीतर भेदभाव के बराबर नहीं है।

35. उपरोक्त को नोट करने के बाद, शुरुआत में, जहां तक निर्णय [2023] 5 एस. सी. आर. के मामले में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नवतेज सिंह जौहर और अन्य। (ऊपर), यद्यपि अधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि अधिकारों का कोई प्रतिगमन नहीं होना चाहिए और एक प्रगतिशील और हमेशा सुधार करने वाले समाज में पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं है, समाज को आगे बढ़ना होगा कि राज्य को ऐसे उपाय या कदम नहीं उठाने चाहिए जो जानबूझकर संविधान के तहत या अन्यथा अधिकारों के उपभोग पर प्रतिगमन का कारण बनते हैं, हमारी राय है कि उक्त अवलोकन उन अधिकारों की प्रकृति पर निर्भर करेगा जिनके बारे में उचित मामलों में विचार किया जाता है। तत्काल तथ्यों में, उक्त अवलोकन याचिकाकर्ताओं के लिए किसी भी सहायता का नहीं हो सकता है क्योंकि अधिकार हालांकि पहले प्रदान किए गए थे, ऐसे अधिकार, जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, केवल

वैधानिक अधिकार क्योंकि वे इस देश के नागरिक नहीं हैं। हालाँकि कानून के तहत कुछ अधिकार दिए गए थे, लेकिन परिवर्तन की आवश्यकता होने पर अपने नागरिकों और गैर-नागरिकों के हितों को संतुलित करना राज्य का कर्तव्य है।

बनाने के लिए। हालाँकि, इस बारे में कि क्या सभी पहलुओं के संदर्भ में इस तरह का विचार न्यायसंगत और उचित तरीके से किया गया है, एक और पहलू है जिसका हम इस निर्णय के दौरान प्रचार करेंगे, लेकिन यह तर्क देना कि यह प्रतिगामी है, वर्तमान में उत्पन्न नहीं हो सकता है।

संदर्भ। 36. जहाँ तक याचिकाकर्ताओं और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा शेष निर्णयों पर भरोसा किया गया है, एक संचयी अवलोकन

वही इंगित करेगा कि यद्यपि इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 आदि को ध्यान में रखते हुए वैध अपेक्षा, भेदभाव न किए जाने के अधिकार के संबंध में जोर दिया है, वे सभी अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में हैं -

राज्य के खिलाफ किसी नागरिक के अधिकारों से निपटने के संदर्भ में या ऐसी स्थिति में जब किसी नागरिक के बीच इस देश के किसी अन्य नागरिक के खिलाफ विवाद था और उस संबंध में जब संवैधानिक सिद्धांतों को लागू किया गया था। इसके अलावा, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों से यह संकेत मिलता है कि इस न्यायालय ने किसी विदेशी या जो इस देश का नागरिक नहीं है, द्वारा दावा किए गए अधिकार पर विचार करते हुए मामले को अलग तरीके से देखा है और हस्तक्षेप करने और कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। यदि उस प्रकाश में, मामले पर गौर किया जाता है, जब इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता विदेशी अधिनियम के तहत परिभाषित "विदेशियों" की परिभाषा का जवाब देते हैं, तो याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किए गए उक्त निर्णय सभी चार पर लागू नहीं होंगे। लेकिन ओ. सी. आई. कार्डधारकों के रूप में याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए अधिकार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो कि विदेशी होने के बावजूद दिया गया दर्जा है और पृष्ठभूमि की परिस्थिति जिसके कारण स्थिति पैदा हुई, आगे विचार करते समय निर्धारित सिद्धांतों की भावना को ध्यान में रखना होगा।

उसमें निर्धारित सिद्धांत जो मन के गैर-अनुप्रयोग, मनमानेपन आदि को अस्वीकार करते हैं, वर्तमान परिस्थिति में भी अच्छे रहेंगे। तत्काल तथ्यों में ओ. सी. आई. कार्डधारक के रूप में वैधानिकता बनी हुई है और इस दृष्टि से अधिसूचना की वैधता का परीक्षण किया जाना है जिसे निश्चित रूप से याचिकाकर्ता द्वारा उठाया जा सकता है और इस न्यायालय द्वारा संबोधित किया जा सकता है।

37. इसलिए, उपरोक्त निष्कर्षों की प्रयोज्यता के पहलू पर उक्त समझ के साथ, तथ्यों में और

तत्काल मामले में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ और जिस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना है और हमारे द्वारा जवाब दिया जाना है, इस मामले पर आगे विचार करने की आवश्यकता है। निस्संदेह, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया है, विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 2 (ए) एक 'विदेशी' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो भारत का नागरिक नहीं है। अगर मामला उसी पर टिका होता तो कोई कठिनाई नहीं होती। तत्काल मामले में, एक अलग आयाम है जो विचार के लिए उत्पन्न होता है। जिस परिस्थिति में याचिकाकर्ताओं को 'विदेशी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें जो अधिकार दिया गया है, उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

38. मामले को परिप्रेक्ष्य में रखने और उस अवधारणा को समझने के लिए जिसके आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिकारों का दावा किया जा रहा है

'विदेशी' के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद तथ्य स्थिति और उन्हें नियंत्रित करने वाले कानून का विज्ञापन करना आवश्यक है। अधिकांश याचिकाकर्ता ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो पूर्ण आयु के हैं या अभी तक पूर्ण आयु तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सभी बच्चे हैं, जिनके माता-पिता दोनों या उनमें से एक भारतीय नागरिक हैं। बदलती दुनिया में और एक ऐसे युग में जहां भारतीय नागरिकों को रोजगार प्रदान करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अवधारणा बड़ी थी, भारत के बाहर किसी देश में बच्चों के जन्म की घटनाएं भी बड़ी थीं। उस परिस्थिति में, क्रमिक सरकारों को ऐसे व्यक्तियों को बेहतर अधिकार प्रदान करने के लिए मामले के इस पहलू पर अपना ध्यान देना पड़ा, जो तकनीकी अर्थों में 'विदेशी' नहीं हैं।

इस देश के नागरिक, फिर भी इस देश के साथ 'जुड़ाव' रखते थे। ये ऐसे मामले थे जहाँ हालांकि जैविक माँ के साथ गर्भनाल एक विदेशी देश में टूट गई थी, गर्भनाल के साथ संबंध देश अधुण बना हुआ है क्योंकि दादा-दादी सहित पूरा परिवार भारत में होगा और माता-पिता ज्यादातर मामलों में भारतीय नागरिक थे। उस दृष्टिकोण से, मामले के इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, ऐसे व्यक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 के माध्यम से संविधान के भाग II के तहत प्रदान की गई नागरिकता का लाभ नहीं होने के बावजूद और दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं होने के बावजूद, कुछ अधिकार बनाए गए [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम, 1955 के तहत जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधान के आधार पर लागू हुआ था।

39. उस संबंध में, एक ऐसी अवधारणा में जहां 'दोहरी नागरिकता' थी

मान्यता प्राप्त नहीं, याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों को धारा के तहत परिभाषित भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक माना जाता था 2 ((ड) अधिनियम, 1955 का। अधिनियम, 1955 ने 2004 के संशोधन अधिनियम 6 के माध्यम से कुछ अधिकार लाए और धारा 7 ए को 7 डी में प्रतिस्थापित करके

प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारक के पंजीकरण का तरीका;

नागरिकता का त्याग और पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया था। इन मामलों में, यह तथ्य कि सभी याचिकाकर्ता भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारकों के रूप में पंजीकृत हैं, विवाद में नहीं है। जिस अधिकार के लिए वे दावा कर रहे हैं, वह अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (1) के तहत प्रदान किया गया है जिसे ऊपर निकाला और नोट किया गया है। शिक्षा का अधिकार जो दिनांक 1 की अधिसूचना के तहत, अनिवासी भारतीयों के साथ समानता में प्रदान किया गया था, इस तथ्य के कारण है कि अनिवासी भारतीयों को, जो एक अलग वर्ग है, शिक्षा से संबंधित मामलों में भारतीय नागरिकों के समान अधिकार था। यह इस बात पर आधारित है कि वर्ष 2005 में ओ. सी. आई. कार्डधारक उपक्रम के लिए किए गए चयन की प्रक्रिया में भाग ले रहे थे

भारत में शैक्षिक पाठ्यक्रम। इस तरह के लाभ को अखिल भारतीय पूर्व-चिकित्सा परीक्षा या इस तरह के अन्य परीक्षणों में उपस्थित होने के लिए बढ़ाया गया था ताकि उन्हें दिनांक 1 की अधिसूचना के माध्यम से संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसरण में प्रवेश के लिए पात्र बनाया जा सके। उक्त लाभ सभी ओ. सी. आई. कार्डधारकों द्वारा उसी तरह से प्राप्त किया जा रहा है जैसे भारतीय नागरिकों के साथ-साथ अनिवासी भारतीय भी प्राप्त कर रहे थे। उस परिस्थिति में, ऐसे अधिकांश ओ. सी. आई. कार्डधारक भारत में अपने पूरे शैक्षिक जीवन का अनुसरण कर रहे हैं।

40. उक्त पृष्ठभूमि में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि

डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं की स्थिति से संबंधित जानकारी। (C) 2021 का No.891 जिसे प्रदर्शित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में लिया जाता है

भारत के साथ उनकी आत्मीयता की स्थिति और वे भारत में कितने वर्षों से हैं। विवरण अनुलग्नक पी/2 में दिए गए हैं जो नीचे दिए गए हैं: -

पी. नं. ओ. सी. आई. कार्ड राष्ट्रीयता अध्ययन वर्षों के स्थान का नाम तिथि

वर्त

मान में

किस शहर में

रहते हैं

भारत में माता-पिता के जन्म धारक

तब से

मा

नक निवास

भारत

जो

अंतिम और राज्य

मा

नक

वर्ष

अनुष्का रेन्गुन्थवार एंड ओआरएस पास किया। वी. भारत संघ और
ओआरएस।

12

टी.

1

अनुष्का

संयुक्त राज्य अमेरिका।

भारतीय

15

31.12.200

हां।

2006

पुणे,

रेंगुन्थवा 3

कैलिफोर्निया

(दोनों)

महाराष्ट्र

आर

ए

12

टी.

भारतीय

रिया समीर 15.01.2003

2008

13

2

नया।

हां।

पुणे,
महाराष्ट्र

(दोनों)

जर्सी,

मुंजे

अमेरिका

ए

12

टी.

भारतीय

15

3

वेद मिलिंद। 21.02.2004

मिशिगन, हॉ

2006

पुणे,

(दोनों)

मुले

अमेरिका

महाराष्ट्र

ए

12

टी.

समृद्धि

भारतीय

27.10.2002 अमेरिका,

हां।

2004

17

पुणे,

4

(दोनों)

नारायण

इलिनोइस

महाराष्ट्र

पाटिल

ए

5 | जोआना

26.08.2003 यू. एस. ए., लोवा यस इंडियन 2008 13 वीं पुणे, महाराष्ट्र

बनर्जी

(दोनों)

ए

हैदराबाद,

भारतीय

12

टी.

2009

12

अमूल्या

04.03.2003 कैलिफोर्निया। हां।

6

यू. एस. ए. (पी. आई. ओ. (मदर)

तेलंगाना

कालिंदी

डीम

डी ओ. सी. आई.

12

टी.

यश मनीष 15.06.2003 कैलिफोर्निया,

संयुक्त राज्य अमेरिका (दोनों) 2007

हां।

14

पुणे,

7

अमेरिका

मेहता

महाराष्ट्र

ए

03.02.2004 यू. एस. ए., न्यू यर्स यू. एस. ए. (दोनों) 2008 13 12 वीं

बेंगलुरु,

8

विश्व

जर्सी

कर्नाटक

कान्तमनेनी

संयुक्त राज्य अमेरिका (दोनों) 2012

12

टी.

चेन्नई।

धनुष

05.09.2003 संयुक्त राज्य अमेरिका।

हां।

9

9

तमिलनाडु

गजुला

उत्तर

कैरोलिना

10 नेत्रा आशीष 17.12.2002 पुणे, हाँ यूके (दोनों) 2011 10 12 वीं पुणे,

अठावले

भारत

महाराष्ट्र

[राष्ट्रीयता

ए

y बदल गया

ब्रिटेन में

2010]

11 श्रेया 11.03.2003 यूएसए, न्यू यर्स यूएसए (दोनों) 2010 11 12 वीं हैदराबाद,

हैम्पशायर

तेलंगाना

रिपाला

26.12.2002 कनाडा, हाँ

कनाडा

12

टी.

2010

11

पुणे,

12 ऋचा

ऑंटारियो

(दोनों)

शिरोल

महाराष्ट्र

ए

13 हरिनी 31.03.2003 तमिलनाडु हाँ

ब्रिटेन (दोनोँ) 2014

12

टी.

चेन्नई,

7

तमिलनाडु

पद्मनाभ

भारत

एन

[राष्ट्रीयता

y ने

बदल दिया [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ब्रिटेन में

2009]

हाँ यूके-फादर 2008 13 12 वीं कोयंबटूर,

14 पृथ्वी 13.06.2003 यूके,

भारत

तमिलनाडु

स्कॉटलैंड

तेन्नवन

माँ।

2009 12 12 चेन्नई,

15 श्रीचरण 19.07.2003 यॉर्क। हाँ यूके

इंग्लैंड

तमिलनाडु

(पिता)

कोसिगन

भारतीय

(माँ)

हां यू. एस. ए. (दोनों) 2015 6 12 वीं

कोयंबटूर,

16 अनुश्री 03.01.2003 यू. एस. ए.,

तमिलनाडु

राममूर्ति

टेक्सास

17 नेया काव्या 04.06.2004 यू. एस. ए., हाँ भारत 2009 12 वीं चेन्नई,

इलिनोइस

तमिलनाडु

चंदर

(पिता)

अमेरिका

(माँ)

हाँ यू. एस. ए. (दोनों) 2013 8 00 12 वीं

चेन्नई,

18 हरिनी 23.09.2003 नया

तमिलनाडु

मणिकुमार

जर्सी।

अमेरिका

10.04.2002 यू. एस. ए., यस इंडियन 2008 13 वीं 12 वीं बेंगलुरु,

19 अमिता

कैलिफोर्निया

कर्नाटक

बच्चू।

(दोनों)

हां यू. के. (दोनों) 2012 9 12 वीं चेन्नई,

20 श्रीस्नेहा 08.03.2004 भारत,

तमिलनाडु

मेट्टूर

तमिल

नाडू

[राष्ट्रीयता

y बदल गया

ब्रिटेन में

2011]

हैदराबाद,

12 थ

.

21 आशीष 10.12.2002 यूएसए,

हां।

अमेरिका

2013

8

तेलंगाना

(पिता)

टेक्सास

वर्मा

माँ।

कालिंदी

(भारतीय)

हैदराबाद,

संयुक्त राज्य अमेरिका (दोनों) 2012

12 थ

.

22 चेतना 02.04.2003 यू. एस. ए., नई हॉ

9

तेलंगाना

थोताकुरा

जर्सी

23 राधा 18.04.2003 यूएसए, न्यू यर्स यूएसए (दोनों) 2009 12 वीं चेन्नई, तमिलनाडु

गारिकिपती

जर्सी

24 सेजल मारी 13.09.2003 यूएसए। हॉ भारतीय 2007 17 12 वीं हैदराबाद, तेलंगाना

(दोनों)

यूटीएएच

हां यू. एस. ए. (दोनों) 2012 9 12 वीं चेन्नई,

25 नेहा नीथा। 29.08.2003 यूएसए।

तमिलनाडु

टेक्सास

गोनुगंटला

संयुक्त राज्य अमेरिका (दोनों) 2011

12 थ

.

हैदराबाद,

हां।

26 भुवन 27.10.2002 यूएसए,

10

तेलंगाना

रेड्डी

इलिनोइस

जोनाला

27 नंदिनी 22.10.2003 यू. एस. ए., हाँ यू. एस. ए. (दोनों) 2009 11 12 वीं चेन्नई,
तमिलनाडु

सरवनन

मिशिगन

28 ध्रुव 31.07.2003 यूएस, एमए यस इंडियन 2009 11 12 वीं दिल्ली

धुरिया

(दोनों)

अनुष्का रेन्नुन्थवार और ओआरएस। वी. भारत संघ और

ओआरएस।

41. उपरोक्त निकाले गए विवरण से संकेत मिलता है कि सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं ने भारत में छह साल से अधिक समय तक अध्ययन किया है और अधिकांश मामलों में

अधिकांश मामलों में, भारत में प्री-मेडिकल टेस्ट के लिए योग्यता परीक्षा के चरण तक लगभग पूरा शैक्षणिक जीवन शुरू किया गया है। यहाँ उल्लिखित विशिष्ट मामलों के अलावा, ऐसे याचिकाकर्ता/व्यक्ति भी हैं जो बाध्यकारी कारणों से किसी विदेशी देश के नागरिक बन गए थे, लेकिन जिनके पास ओ. सी. आई. कार्ड का लाभ है। इससे पता चलता है कि हालांकि कानून के संदर्भ में, याचिकाकर्ता विदेश में जन्म की घटना या इस तरह के अन्य मजबूर करने वाले कारण 'विदेशी' थे

परिस्थितियों में, वे भारत में बने रहते हैं और उनका पीछा करते हैं शिक्षा और ओ. सी. आई. कार्ड के आधार पर उन्हें दिए जाने वाले मध्य मार्ग लाभ को पूरी तरह से उचित ठहराया था। जिस तरह से उन्होंने भारत में छात्र होने के नाते खुद को संचालित किया है, वह इंगित करता है कि देश के साथ गर्भ संबंध होने के अलावा, वे अधिकार के बारे में जागरूक हैं।

दिनांकित 11.04.2005 और 05.01.2009 अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रदान की गई अधिसूचनाओं ने अपने पेशे का चयन करके और उसी के लिए तैयारी करके अपने पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने के लिए खुद को स्थापित किया था। यह उस पर आधारित था जो प्रवासी नागरिकों के उस वर्ग के लिए आयोजित किया गया था। वास्तव में, उनका पूरा शैक्षिक जीवन एक ही मानक का रहा है, जिसमें वही 'लाभ' और 'नुकसान' हैं जो भारतीय नागरिक छात्रों के मामले में हुए हैं। ऐसी स्थिति में, हालांकि 'वैध अपेक्षा' शब्द के सख्त शब्द में, यह नहीं गिर सकता है, प्रदान किए गए एक वैधानिक अधिकार ने संबद्धता को मान्यता देते हुए आशा का बीज बो दिया था यह देश, हालांकि वे सख्त अर्थों में नागरिक नहीं थे।

42. अतः इस स्थिति को पृष्ठभूमि में रखते हुए, जिस तरह से विवादित अधिसूचना याचिकाकर्ताओं को प्रभावित करेगी और

समान रूप से तैनात नागरिकों को यह जांचने के लिए ध्यान देना होगा कि क्या प्रदत्त अधिकार को वापस लेना उचित होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया है, ओ. सी. आई. कार्डधारकों के लिए उपलब्ध अधिकार केवल उस अधिकार के आधार पर वैधानिक अधिकार है जो अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (1) के संदर्भ में एक अधिसूचना के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसके लिए उप-धारा (2) विशेष रूप से उस अधिकार को इंगित करती है जिसे अधिसूचना के माध्यम से उप-धारा (1) के तहत भी प्रदान नहीं किया जा सकता है। यद्यपि उप-प्रत्यायोजित शक्ति के तहत जारी अधिसूचना को वापस लिया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है या बदला जा सकता है, लेकिन दिनांकित 04.03.2021 की विवादित अधिसूचना के प्रभाव पर इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह पूरी तरह से उचित है या क्या इसका कोई हिस्सा इसके उल्लंघन में आता है।

जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया है और जिस तरीके से इसे संशोधित किया गया है।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. जिस हद तक देखा गया है, वह अधिकार अधिनियम 1955 की धारा 7 बी (1) के तहत दिनांकित 04.03.2021 की विवादित अधिसूचना के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है यदि

यह पहली बार था जब इस तरह का अधिकार प्रदान किया गया था, याचिकाकर्ता कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। वास्तव में, पहली बार में अधिसूचना के अवलोकन से यह आभास होता है कि केवल 11.04.2005, 05.01.2007 और 05.01.2009 की पिछली अधिसूचनाओं को एक अधिसूचना के तहत प्रदान किए जाने वाले सभी अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए समेकित किया गया है। हालाँकि, इस निर्णय के दौरान ऊपर निकाली गईं उक्त अधिसूचना के करीब से अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि अधिसूचना का खंड 4 (ii) हालांकि अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने का अधिकार प्रदान करता है, जो अब तक उन्हें अनिवासी भारतीयों के साथ समान रूप से प्रवेश के लिए पात्र बनाने के लिए उपलब्ध था, अब केवल उन सीटों के खिलाफ प्रवेश के लिए पात्रता को प्रतिबंधित कर दिया है जो अनिवासी भारतीयों के लिए आरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ ओ. सी. आई. कार्डधारकों और अनिवासी भारतीयों के बीच ऐसा प्राप्त करने के लिए एक निश्चित आर्थिक अंतर है

44. हालाँकि, जिस बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि वह अधिकार जो दिनांकित 11.04.2005 अधिसूचना के माध्यम से दिया गया था और 05.01.2009 जहाँ तक शैक्षिक समानता का सवाल है, जिसमें अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट या ऐसी अन्य परीक्षाओं में बैठने के मामले में उन्हें प्रवेश के लिए योग्य बनाने के लिए पूरी तरह से बदलाव किया गया है। यद्यपि अधिसूचना पूर्वव्यापी आवेदन को निर्दिष्ट नहीं कर सकती है, लेकिन पहले की अधिसूचनाओं और खंड 4 (ii) में पेश किए गए परंतुक को हटाने का प्रभाव दिनांकित 04.03.2021 'पूर्वव्यापी' अधिसूचना को उस सुनिश्चित अधिकार को छीनने के रूप में 'पूर्वव्यापी' बना देगा, जिसके आधार पर याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों ने अपनी स्थिति में बदलाव किया है और पेशेवर शिक्षा में अपने करियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद के साथ जीवन के प्रक्षेपवक्र को समायोजित किया है।

45. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील उस संदर्भ में तर्क देंगे कि चूंकि अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी की उप-धारा (2) संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अधिकार को बाहर नहीं करती है, इसलिए यह अनुष्का रंगनाथ और ओआरएस है।

वी. भारत संघ और

ओआरएस।

लागू करने के लिए उपलब्ध है और इस तरह के भेदभाव पर विचार किया गया है

ओ. सी. आई. कार्डधारकों को बाहर करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14 को लागू किया जा सकता है और भेदभाव का विरोध केवल तभी किया जा सकता है जब समान रूप से रखे गए व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है और इस दृष्टिकोण से ओ. सी. आई. कार्डधारक अपने आप में एक वर्ग होने के नाते भारतीय नागरिकों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि दिए गए सीमित वैधानिक अधिकार को बचाने का प्रयास किया जाए। उस हद तक निश्चित रूप से अपनाई गई प्रक्रिया में निष्पक्षता का उस उद्देश्य के साथ संबंध है जिसके लिए परिवर्तन किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित अधिसूचना जारी करने से पहले मन के अनुप्रयोग के लिए जांच की आवश्यकता होती है।

46. जैसा कि उल्लेख किया गया है, दोहरी नागरिकता के अभाव में ओ. सी. आई. कार्डधारकों का अधिकार एक मध्यम अधिकार है। जब कोई वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था

प्रश्न किया जाता है लेकिन जिस तरीके से वर्तमान परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, उस पर आपत्ति है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का तर्क है कि शुरू से ही इरादा समानता प्रदान करना था केवल एन. आर. आई. वाले ओ. सी. आई. कार्डधारक। उस पहलू पर जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, हमने उस लाभ की प्रकृति को देखा है जो याचिकाकर्ताओं और इसी तरह की अधिसूचनाओं के तहत रखे गए याचिकाकर्ताओं को दिया गया था।

वर्ष 2005, 2007 और 2009। ओ. सी. आई. कार्डधारकों को केवल उन सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बराबरी करने के रूप में आगे का विवाद जो एन. आर. आई. के लिए आरक्षित हैं और ओ. सी. आई. कार्डधारकों को किसी के खिलाफ प्रवेश के लिए बाहर करने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए विशेष रूप से आरक्षित सीट, यहाँ तक कि उन व्यक्तियों के लिए भी जिन्हें पहले अधिकार दिया गया था, यह कहा गया है कि तर्क ऐसे मामलों में भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है जहाँ राज्य अपने नागरिकों को ओ. सी. आई. कार्ड रखने वाले विदेशियों की तुलना में प्राथमिकता दे सकता है। काउंटर में यह भी बताया गया है कि सीटों की संख्या

भारत में चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध बहुत सीमित हैं और यह भारतीय नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे [2023] 5 एस. सी. आर. में प्रवेश का अधिकार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीटें मुख्य रूप से ओ. सी. आई. कार्डधारकों सहित विदेशियों के बजाय भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

47. आपत्ति बयान में नंगे बयान को छोड़कर, वहाँ

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए की गई वास्तविक कवायद के संबंध में कोई सामग्री नहीं है कि चयन प्रक्रिया में ओ. सी. आई. कार्डधारकों की भागीदारी ने भारतीय नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा के अवसर से वंचित कर दिया है। इस बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में कितने ओ. सी. आई. कार्डधारक सफल हुए हैं।

चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने के बाद एक सीट प्राप्त करने में, जिसके द्वारा भारतीय नागरिकों को सीटों से वंचित कर दिया गया था, हालांकि वे समान योग्यता वाले थे। इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने राज्यसभा में हाल ही में उठाए गए प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा किया है और विवरण को इंगित करने के लिए एक उद्धरण आई. ए. No.4763 2023 के साथ डब्ल्यू. पी. में अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए प्रस्तुत किया है। (ग) 2022 का No.246। दिखाया गया विवरण इस प्रकार है:

" राज्य ने राज्या को जवाब देने के लिए कहा

13 तारीख के लिए SABHA ने प्रश्न NO.64 * शुरू किया

दिसंबर, 2022

(क) से (ग) राष्ट्रीय परीक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार

एजेंसी (एन. टी. ए.), उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का विवरण पिछले तीन वर्षों में एन. ई. ई. टी.-यू. जी. परीक्षा के लिए निम्नानुसार हैं:

2

020

2021

वर्ष

2022

18,72,343

1

5,97,435

16,14,777

विद्यार्थीगण की संख्या
पंजीकृत
17,64,571 की संख्या
15,44,273
1
3,66,945

विद्यार्थीगण
प्रकट हुआ।
पिछले तीन वर्षों की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध सीटें
ये निम्नानुसार हैं:

वर्ष

यूजी

पीजी

55495

2020-2021 83275

2021-2022 92065

60202

2022-2023 96077

64059 अनुष्का रेन्नुन्थवार और ओआरएस। वी. भारत संघ और

ओआरएस।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन. एम. सी.) के अनुसार, वर्षवार 2021-22 तक खाली एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या इस प्रकार है:

SI.No।	शैक्षणिक वर्ष	रिक्त सीटों की कुल संख्या	यूजी परामर्श में एमबीबीएस के लिए
1 .	2021-22	197	
	2019-20	273	
2 .	2018-19	274	
3 .			पीजी की रिक्त सीटों की कुल संख्या
SI.No।	शैक्षणिक वर्ष	परामर्श में (वर्षवार)	
1 .	2021-22	3744	
	2020-21	1425	

2019-20

4614

(जोर दिया गया)

48. इसलिए, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह इंगित करने की मांग की जाती है

यह कि दिया गया स्पष्टीकरण वास्तविक स्थिति का संकेत नहीं देता है, क्योंकि पिछले वर्षों में सीटें अभी भी खाली हैं। यह. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया है, रिक्तियां कई कारकों जैसे कि सीटों के आरक्षण, अन्य क्रमपरिवर्तन और संयोजन के साथ-साथ

पसंदीदा और गैर-पसंदीदा कॉलेज। चाहे जो भी हो, उन युवा छात्रों को भी, जो तकनीकी रूप से हालांकि इस देश के नागरिक नहीं हैं, लेकिन जिन्हें इस तरह से कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, विवादित अधिसूचना को लागू करके दिए गए अधिकार को छीनने की सख्त आवश्यकता उचित नहीं होगी क्योंकि यह उस उद्देश्य के साथ सांठगांठ को प्रदर्शित नहीं करता है जिसे प्राप्त किया जाना था। भविष्य के लिए नीतिगत निर्णय, निश्चित रूप से राज्य की संप्रभु शक्तियों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकार क्षेत्र में है। उस पहलू पर भी केवल इतना कहा गया है कि अधिसूचना जारी करने का निर्णय 19.07.2018 पर आयोजित सचिवों की बैठक में विचार-विमर्श की प्रकृति का संकेत दिए बिना लिया गया था। इसलिए, उस परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पहले की अधिसूचनाओं को रद्द करने और ओ. सी. आई. कार्डधारकों के अधिकार को छीनने का निर्णय, जिनके पक्ष में ऐसा अधिकार अर्जित हुआ था और उन्होंने इस तरह से इस अधिकार का लाभ उठाने के लिए काम किया है, को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था।

परिणाम। भारत में पूरा शैक्षिक जीवन शुरू करने के बाद
इस स्तर पर [2023] 5 एस. सी. आर. वापस नहीं कर सकते।

या कम से कम हाई स्कूल के बाद, वे

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिस देश में वे पेशेवर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि वे अध्ययन पद्धति और मौद्रिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वहां के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं होंगे।

49. विवादित अधिसूचना के कारण हुई शरारत और उसके तरीके की बेहतर समझ के लिए मामले को उसके संदर्भ में रखना।

स्थिति को अपरिवर्तनीय रूप से बदल देगा, जिस पहलू पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिमाग का उपयोग नहीं किया जाता है, किसी व्यक्तिगत याचिकाकर्ता के मौजूदा तथ्यों का उल्लेख करना उचित होगा। इस पहलू को प्रदर्शित करने के लिए हम डब्ल्यू. पी. में पहले याचिकाकर्ता का विवरण लेंगे। (सी) मामले को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में 2021 का No.891। उपर्युक्त सारणीबद्ध कथन से यह उल्लेख किया गया है,

(अ)

उनका जन्म 31.12.2003 पर कैलिफोर्निया, यू. एस. ए. में हुआ था।

(ख)

उनके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं।

वे वर्ष 2006 में भारत आई थीं।

(ग)

इसके बाद वह 15 साल तक भारत में रहे।

(घ)

(ई)

वर्तमान में वह पुणे, महाराष्ट्र में हैं।

उन्होंने भारत में अपने पूरे शैक्षिक जीवन का अनुसरण किया।

(च)

12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की जो योग्यता परीक्षा है

(जी)

भारत में भी चिकित्सा प्रवेश के लिए उपस्थित होना।

भारत से। ओ. सी. आई. योजना 2005 की अधिसूचना जारी करने के साथ शुरू की गई थी जो दोहरी नागरिकता की मांगों की पृष्ठभूमि में है। भारतीय प्रवासी और दोहरी नागरिकता की अवधारणा को मान्यता नहीं दी गई है।

50. इसलिए यह स्पष्ट है कि अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य

ओ. सी. आई. कार्ड जारी करने के लिए वर्ष 2005 दोहरी नागरिकता की मांग के जवाब में था और इस तरह, दोहरी नागरिकता के विकल्प के रूप में, जिसे मान्यता नहीं दी गई थी, ओ. सी. आई. कार्ड लाभ बढ़ाया गया था। यदि उस संदर्भ में, ऊपर ध्यान में रखे गए पहले याचिकाकर्ता के विवरण का विश्लेषण उस संदर्भ में किया जाता है, हालांकि याचिकाकर्ता संख्या 1 को अधिनियम, 1955 की धारा 4 के तहत एक नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का विकल्प मूल निवासी अनुष्का रंगनाथ और ओआरएस द्वारा नागरिकता प्राप्त करना है।

बी. भारत संघ और

ओआरएस।

उनके जन्म के तुरंत बाद या यहां तक कि अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत प्रदान की गई नागरिकता के पंजीकरण द्वारा भी उनके माता-पिता के लिए तत्काल तथ्य उपलब्ध थे, जब याचिकाकर्ता संख्या 1 के जन्म के तुरंत बाद ओ. सी. आई. कार्ड जारी करने के प्रावधान को वैधानिक रूप से मान्यता दी गई थी और अधिसूचना के तहत शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया था, याचिकाकर्ता संख्या 1 के माता-पिता को वंश द्वारा नागरिकता प्राप्त करने या विदेश की नागरिकता का त्याग करने का विकल्प चुनने की आवश्यकता थी।

भारत की नागरिकता बनाने के लिए उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि दोहरी नागरिकता के विकल्प के रूप में लाभ प्रदान किया गया था और याचिकाकर्ता संख्या 1 के लिए उपलब्ध था और पूरे भविष्य की योजना उसी आधार पर बनाई गई थी और यह स्थिति वर्ष 2021 तक जारी रही।

51. इसके अलावा, वर्ष 2021 में जब विवादित अधिसूचना जारी की गई थी, याचिकाकर्ता संख्या 1 की आयु लगभग 18 वर्ष थी, यानी पूर्ण आयु और भले ही उस स्तर पर, याचिकाकर्ता को त्याग करना था और याचिका दायर करने की मांग करनी थी। धारा 5 (1) (च) (छ) के तहत प्रदान की गई भारत की नागरिकता, इस तरह की प्रक्रिया की अवधि उसे पूरी शिक्षा के लाभ से वंचित कर देगी।

भारत में उसके द्वारा पूर्व-विद्यालय स्तर से पाठ्यक्रम और पूर्व-चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित होने का लाभ जो उसके लिए उपलब्ध था, एक ही झटके में मिटा दिया जाएगा। न ही उसे उस देश में कोई विशेष लाभ मिलेगा जहाँ वह पैदा हुई थी। इसलिए उस परिस्थिति में जब अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (1) के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रदान किए गए अधिकार को देखते हुए याचिकाकर्ता संख्या 1 जैसे व्यक्तियों को एक संप्रभु राज्य से आश्वासन दिया गया था और भारत के ऐसे प्रवासी नागरिकों द्वारा इसका लाभ उठाने के लिए सभी 'काम' किए गए थे और जब यह सीट के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लाभ में परिपक्व होने का चरण था, तो किए गए सभी 'ऐसे काम' को पूर्व अधिसूचनाओं को निरस्त करके विवादित अधिसूचना जारी करने के साथ रद्द और रद्द नहीं किया जाना चाहिए था ताकि उन्हें दिए गए लाभ को भी छीन लिया जा सके।

52. इसलिए, इसके बावजूद, इस तरह के अर्जित अधिकारों को संरक्षित नहीं करने वाली विवादित अधिसूचना दिमाग के गैर-अनुप्रयोग का संकेत देगी और

कार्रवाई में मनमानी। आगे ऐसी परिस्थिति में जब कथित उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए अधिक सीटें उपलब्ध कराना था और यह प्रदर्शित किया जाता है कि सीटें खाली रह गई हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए इस तरह की अधिसूचना जारी की गई थी, वह अधिकारों को बचाए बिना और याचिकाकर्ताओं और इसी तरह रखे गए ओ. सी. आई. कार्डधारकों को दूसरे के साथ छोड़कर जारी की गई थी।

छात्रों को वस्तु के साथ संबंध के बिना एक के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। जैसा कि इस आदेश के दौरान पहले ध्यान दिया गया था, ओ. सी. आई. कार्डधारकों को एनआरआई के साथ समानता में जो अधिकार दिया गया था, वह प्री [2023] 5 एस. सी. आर. के लिए उपस्थित होना था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूर्व-चिकित्सा प्रवेश परीक्षा या ऐसी अन्य प्रवेश परीक्षा में भागीदारी समान होगी और याचिकाकर्ता संख्या 1 को केवल इसलिए कोई बड़ा लाभ नहीं होगा क्योंकि उसका जन्म कैलिफोर्निया, यू. एस. ए. में हुआ था। इसलिए, जो अधिकार प्रदान किया गया था और मौजूद था, उसने भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं किया था ताकि ऐसे सभी अधिकारों को अचानक अस्वीकार कर दिया जा सके। अधिकार केवल प्रतिस्पर्धा करने का था। अगर यह संप्रभु राज्य की नीति होती तो इसे भविष्य के लिए विनियमित किया जा सकता था। जिस तरह से यह किया गया है, उससे इन सभी पहलुओं में जाने का कोई विचार स्पष्ट नहीं है। 53. उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिस उद्देश्य के साथ अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया था ताकि भारत के प्रवासी नागरिकों को लाभ प्रदान किया जा सके और उस संदर्भ में जब समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से ओ. सी. आई. कार्डधारकों को अधिकार दिए गए थे, जिसके आधार पर ओ. सी. आई. कार्डधारकों ने इसे अपनाया था और भविष्य के लिए खुद को स्थापित करने के लिए काम किया था, तो इस तरह की प्रक्रिया में अर्जित अधिकार को वर्तमान तरीके से नहीं लिया जा सकता था, जो एक 'पूर्वव्यापी' अधिसूचना के रूप में कार्य करेगा। इसलिए, हालांकि अधिसूचना पूर्वव्यापी संचालन को निर्दिष्ट नहीं करती है, क्योंकि यह उपलब्ध अधिकारों को पूर्वव्यापी रूप से नष्ट करती है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिकार के उन लाभार्थियों में से इस तरह की अधिसूचना से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यद्यपि पूर्वव्यापी निर्माण के विरुद्ध नियम केवल इसलिए कानूनों पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकता का एक हिस्सा इसके पारित होने के पूर्व से लिया गया है, तत्काल मामले में अधिसूचना के तहत अधिकार प्रदान किए गए थे और ऐसे अधिकार बाद की अधिसूचना से प्रभावित हो रहे हैं, जो हानिकारक है और इससे उस हद तक बचा जाना चाहिए और ऐसी पूर्वव्यापीता के बिना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

54. हम ध्यान देते हैं कि यह पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि यह चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले ओसीआई कार्डधारकों को प्रभावित नहीं करता है।

एक सीट हासिल की है और या तो एमबीबीएस पाठ्यक्रम या इस तरह के अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम से गुजर रहे हैं या पूरा कर रहे हैं। हालाँकि, यह उन व्यक्तियों के अधिकार से वंचित करने के लिए पूर्वव्यापी कार्रवाई के रूप में कार्य करेगा जिनके पास ऐसा अधिकार था जो उस हद तक टिकाऊ नहीं है। जब खेल अनुष्का युद्ध और ओआरएस होता है तो गोल पोस्ट को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

बी. भारत संघ और

ओआरएस।

खत्म होने वाला है। इसलिए हमारा विचार है कि पूर्वव्यापी परिणामों के परिणामस्वरूप पूर्वव्यापी संचालन को अलग रखा जाना चाहिए और इस तरह के

प्रतिकूल परिणामों से बचना चाहिए। 55. अतः सम्मिलित मुद्दे की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, संक्षेप में, यह अभिनिर्धारित करना होगा कि यद्यपि आक्षेपित अधिसूचना

दिनांक 04.03.2021 एक नीति पर आधारित है और एक संप्रभु राज्य की वैधानिक शक्ति के प्रयोग में, उसमें निहित प्रावधान

यह केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो अधिसूचना की तारीख के बाद विदेश में पैदा हुए हैं और जो उस तारीख से ओ. सी. आई. कार्डधारक के रूप में पंजीकरण चाहते हैं क्योंकि उस समय माता-पिता के पास या तो वंश द्वारा नागरिकता लेने या संप्रभु राज्य की मौजूदा नीति की पृष्ठभूमि में एक विदेशी के रूप में बने रहने का विकल्प होगा।

56. उपरोक्त के आलोक में, यह माना जाता है कि संप्रभु राज्य की नीति को आगे बढ़ाने में प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास पारित करने की शक्ति है धारा 7 बी (1) के तहत विचार के अनुसार उपयुक्त अधिसूचनाएं

नागरिकता अधिनियम, 1955, उसमें दिए गए अधिकारों को प्रदान करने या उनमें परिवर्तन करने के लिए। हालाँकि, जब किसी प्रदत्त अधिकार को वापस लिया जाता है, संशोधित किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, तो उसके लिए अग्रणी प्रक्रिया को इस तरह के वापसी या संशोधन के उद्देश्य के लिए दिमाग के अनुप्रयोग, संबंध को प्रदर्शित करना चाहिए और ऐसा कोई भी निर्णय मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए। उस पृष्ठभूमि में, विवादित

यद्यपि अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (1) के तहत सक्षम अधिसूचना विवेक के गैर-अनुप्रयोग के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है और संभावित होने के बावजूद, वास्तव में उन अधिकारों को छीनना 'पूर्वव्यापी' है जो संप्रभु राज्य की नीति के मामले में भी प्रदान किए गए थे।

57. इसलिए, अधिसूचना संभावित रूप से टिकाऊ होने के कारण, हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि अधिसूचना का विवादित हिस्सा जो दिनांकित 11.04.2005, 05.01.2007 अधिसूचनाओं के अधिक्रमण का प्रावधान करता है और

05.01.2009 और खंड 4 (ii), इसका परंतुक और स्पष्टीकरण (1) उन ओ. सी. आई. कार्डधारकों के संबंध में संभावित रूप से कार्य करेगा जिनके पास 04.03.2021 के बाद उसी को सुरक्षित किया।

58. हम आगे यह मानते हैं कि इन सभी मामलों में याचिकाकर्ता और अन्य सभी समान रूप से रखे गए ओ. सी. आई. कार्डधारक अधिकारों के हकदार होंगे और

विशेषाधिकार जो उन्हें दिनांकित 04.03.2021 अधिसूचना से पहले प्रदान किए गए थे और दिनांकित 04.03.2021 अधिसूचना में उत्कीर्ण बहिष्करण के बावजूद उनके द्वारा लाभ उठाया जा सकता था।

याचिकाकर्ताओं की भागीदारी और इसी तरह ओ. सी. आई. कार्डधारकों को चयन [2023] 5 एस. सी. आर. में रखा गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (1) के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 को उपलब्ध शक्ति को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में भारतीय प्रवासियों पर भी इसके व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और चूंकि यह संप्रभु राज्य के नीतिगत निर्णय पर आधारित होने का दावा किया जाता है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। पहले से बनाए गए अधिकारों के संदर्भ में कार्यपालिका के उच्च क्षेत्रों में जांच की जाएगी।

60. उपरोक्त के संदर्भ में, इन सभी याचिकाओं/अपीलों को आंशिक रूप से उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

61. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे

याचिकाओं/अपीलों की

आंशिक रूप से अनुमति है।

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)